

The Gazette of India

असाधारगा EXTRAORDINARY

भाग गि—वण्ड 3—उप-वण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (ह)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

₩ 509

नई दिल्ली, सोमवार, सिसम्बर 25 1989/आश्विन 3, 1911

No. 509]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 1989/ASVINA 3, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेश कर प्रभाग)

ग्रधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1989

ग्राय-कर

सा. का. नि. 853 (म्र):—म्याय पर और पूंजी पर करों की बाबत दोहरे कराधान के पिरवर्तन और राजित म्रपवंचन के निवारण की लिए भारत गणराज्य की सरकार और डेनमार्क राज्य को सरकार के बीच उपाबद कर्वेन्सन उक्त कर्वेशन के म्रतुष्टिंद 30 के पैरा 1 की म्रपेक्षानुसार दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा एक दूसरे को सांविधानिक म्रपेक्षाओं के पूरा हो जाने की म्रधिसूचना दिए जाने पर, 13 जून, 1989 को प्रवृत्त हो गया है ;

श्रव, श्रतः केन्द्रीय सरकार के श्राय-कर ग्रधिनियम, 1961 (1961 हा 43) की धारा 90 कम्पनी (लाम) श्रतिकर श्रधिनियम, 1964 (1964 का 7) को धारा 24क और धर-कर ब्रिधिनियम, 1967 (1967 का 27) को धारा 44क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त कन्वेंशन के सभी उपबन्धों का भारत संघ में कार्योन्तित किया जाएगा।

उपायंध

भारत गणराज्य और डेन्सार्क किंगडम के बीच ग्राय तथा पूंजी पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधन के परिहार और राजस्व के ग्रपबंचन की रोकने के लिए श्रमिसम्य

भारत गणराज्य की सरकार तथा डेनमार्क किंग्डम की सरकार श्राय तथा पूंजी पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व के अपर्यचन के रोकने के लिए अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुमार सहमत हुई है :--

ग्रन्स्छेद ।

व्यक्तिगत कार्य-श्रेत

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

श्रन् च्छेद 2

प्रतिक्षण के अन्तर्गत स्नाने वृत्ति कर जिन कर्षे पर सह अभिसमय लागू होगा, वे इस प्रकार हैं:

(क) शास्त में :

- (i) ग्रायकर जिसमें श्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) के श्रन्तर्गत उस पर लगने वाला कोई भी श्रधिभार शामिल है;
- (ii) कम्पनी (लाम) श्रतिकर श्रधिनियम, 1964 (1964 का 7) के श्रन्तर्गत लगाया जाने वाला श्रतिकर;
- (iii) धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 24) के अन्तर्गत लगाया जाने बाला धनकर ;

जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा ।

(ख) डेनमार्क में :

- (1) राज्य को देय अध्यकर (इनडोकोमोरकातेन) (तिलस्तातेन):
- (2) नगर पालिका ग्रायकर (तेनकोम्साल इतकोमस्तसकाट) ;
- (3) देश की नगरपालिकाओं को देय आयकर (तेन एमत्सकोमुनल इंतकोमस्तकट) :
- (4) वृद्धावस्था पेंशन अंगदान (फोलपेंशनसिबडग्रेगेट)
- (5) निविक कर (समनदसकातेन) ;
- (6) विशय श्रायकर (तेन सरलिज इंतकोमस्तमकाट) -
- (7) चर्च कर (किरकेसकातेन) ;
- (8) लाभांगों पर कर (उडवायतेसकातेन) .
- (9) रोग "पर डायम" निधि में अंशदान (बिडराग तिले डया-पेनगेफोनडेन) :
- (10) हाइड्रोकार्बन कर (कुलविनतेस्कातेन) :
- (11) राज्य को देय पूंजो कर (पोरम्युस्कातेन तिल स्तातेन) ; (जिन्हें इसके बाद में "डेनिश कर" कहा जाएगा)।
- 2. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होता जो वर्तमान अभिसमय पर हस्ताक्षर होते की तारीख के पश्चात परीग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सअभ प्राधिकारी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे की सुचित करेंगे जो उनके अपने अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।

सामान्य परिभाषाएं

- ा इस ग्रमिसमय में, जब तक विषयगत पाठ में ग्रन्यथा ग्रपेक्षित नहीं हो ;
 - (क) "भारत" शब्द से भारत का राज्य क्षेत्र ग्रिभियेत है और उसमें राज्य क्षेत्रोय समुद्र और उसके ठपर का वायुमंडलीय क्षेत्र शामिल है और साथ हो साथ कोई भी ग्रन्य समुद्री क्षेत्र, जिस पर भारतीय कानून तथा ग्रन्तरराष्ट्रीय कानूनों के ग्रनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न ग्राधिकार, ग्रन्य ग्राधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों।
 - (ख) "डेन्मार्क" शब्द से प्रभिन्नेत है डेनमार्क किंगडम का राज्य क्षेत्र और उसमें शामिल है डेनमार्क का राज्य क्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर का वायुमंडलीय क्षेत्र और साथ ही साथ उस सोमा तक कोई अन्य समुद्री क्षेत्र, जिसका नामकरण

अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किया गया हो अयवा इसके बाद हैनिशा कानूनों के अनुसार किया जाए जहां छेनमार्क मन्द्राल जयका उनके अयमृष्य जवों और उपरिवर्ध करों में अञ्चलिक संस्थानों के समय्वेषण और अवशोषण के प्रयोजन में और अविके अवशोषण तथा समन्वेषता के लिए अन्य कार्य-कलापों के संबंध में अपने प्रभुतता सम्यन्न अधिकारों का प्रयोजन हो। इन शब्दों में फैरो दीव समूह तथा अनिलैंड शामिल नहीं होंगे।

- (ग) "एक संविदकारी राज्य" और "इसरा संविदाकारी राज्य" परों के विष्यात पाठ की ग्रोआ के ग्रनुसार भारत ग्रयवा जैनमार्क ग्रभिप्रेत है ;
- (ब) "कर" शब्द से, विषयात पाठ की अपेक्षा के अनुसार, मारतीय कर अथवा डेनमार्क कर अभिष्रेत है परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के प्रबंध में किसी चूक अथवा मुल के संदर्भ में देय हो जिन पर यह अभिसमय लागू होता हो अथवा जी उन करों के संबंध में लगाया गया अथ-दंड हो ;
- (ड.) "व्यक्ति" शब्द में व्यष्टि, कम्पनी और एसी कोई भी श्रन्थ मता शामिल है जो स्रलग-प्रलग संविद्यातारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानुनों के श्रन्तर्गत कर लगने योग्य इकाई मानी जाती है;
- (च) "कम्पनी" शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई भी ऐसी सत्ता अभिन्नेत है, जो अतग अतग संविदाकारी राज्यों जो में प्रवृत्त कराधान कानुनों के अन्तर्गत कोई कम्पनी अथवा कोई निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है;
- (छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमणः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम प्रभिन्नेत हैं;
- (ज) "सलम प्राधिकारी" शब्दों से भारत के मामले में ब्रामिप्रेत है, केन्द्रीय सरकार का वित मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उतका प्राधिकृत प्रतिनिधि; और डेनमाक के मामले में अन्तदर्शीय राजस्व, सोमा-श्रुटक और उत्पादन-श्रुटक मंद्री अथवा उसका प्राधिकृत श्रीतिनिधि;
- (झ) ''राष्ट्रिक'' शब्द से अभिनेत हैं कोई भी व्यष्टि जिसे किसी मंबिदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता प्राप्त हो और कोई भी विधिक व्यक्ति, भागोदारी अथवा संस्था जिसे अपनी हैसियत किसी मंबिदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानुनों से प्राप्त होती हो ;
- (ङा) "ग्रन्तरराष्ट्रीय योतायात" पद से श्रभिन्नेत है किसी ऐसे जनवान श्रयदा वायुवान द्वारा परिवहन जो किसी संविदाकारी राज्य द्वारा सचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलघान ग्रयवा वायुवान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच हो चलावा जाता हो ।
- 2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारी इस प्रभिसमय के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का, जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो, विपयगत में जब तक अन्वया अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होया जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है जिन पर यह अभिस्मयं लागू होता है।

यन् च्छेद ।

निवासी

- 1 इन श्रीभसमय के प्रश्लेशनों के लिए, "संविद्धांतारी राज्य छ। निश्लासी" पद से श्रीभन्नेन हैं कोई भी ऐसी व्यक्ति जिस पर, उस राज्य के कानूनों के अन्तर्शत उसके श्रीक्षांस, निवास, प्रयंग्र-स्थान अथवा इस प्रकार कि विश्ली श्रम्य कसोटी के कारण, यहां पर कर नगात्म जा सकता है। परन्तु इस पब में बहु व्यक्ति णामिल नहीं है, जिस पर उस राज्य में उसके स्वीती से प्राप्त आय अथवा उसमें निधम पूर्णी एर कर नगना है।
- ७. अहां पैराग्राफ । के उपबन्धों के कारण कोई व्यक्ति दोनों सर्वित्र-कारों दक्कों का निकासी हों, बहा उसकी हैसियन निस्नानुसार तम की अग्रुकी:
 - (क) उसे उस राज्य का नियामी माना आएए। जहां उसे एक स्थाया निवास-गृह उपलब्ध हा. यदि उसे दोनों संविद्यांकारी राज्यों में स्थापी निवास-गृह उपलब्ध हो. ना वह उस संविद्यांकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, निसके माथ उसके व्यक्तिगत और ग्राविक संबंध घनिण्यतर हैं (महत्वपूर्ण हिलों का केन्द्र).
 - (या) यदि उस संविद्यकारी राज्य का निशमें उनके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निरुवस नहीं किया का सकता हो. प्राथवा यदि उसकी किसी मी संविद्यकारी राज्य में कोई स्थाशी निवास उपलब्ध नहीं हो, तो यह उस संविद्यवारी राज्य का निवासी माना जाएशा जिसमें वह व्योबहारिक रूप से स्कृता हो ;
 - (ग) यदि बह ब्यावहारिक ला से दोनों ही राजों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी र ज्यामे गही रहता हो, तो बह उस राज्य का दिवासी माना आएसा, जिसका वह रास्त्रिक हैं;
 - (घ) यदि बह दोनों राजी का राष्ट्रिक है पत्रवा जनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं हैं.तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारण्परिक सहमति क्रांग एक प्रथन का निर्णय करेंगे ।
- 3. जहां किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति, पैराग्राफ । के उपबन्धों के नाइण, दोनों संविद्याकारी राज्यों का किवासी हो तो वह उस संविद्याकारी राज्य का निदासी साना जाएगा, भिसमें उसका वारतविक प्रवन्ध स्थान स्थित है :

मन्द्येय 5

स्यादी संब्धापन

- ा इस श्रोभसमय के प्रयोजन के लिए "स्थार्थ। संस्थापन" एवं से कारीबार का वह सिम्बिन स्थान ग्रामियेन हैं, जहां उद्यप्त का कारीबार पूर्णेंकः श्रप्तवा अंगतः किया जाता है ।
 - 2. ":वार्या सम्वापन" पव में विशेषत्व। निस्तिविद्याल कामिक होगे :
 - (क) प्रदेध-व्यवस्था का कोई स्थान .
 - (ख्र) कोई प्राखा,
 - (च) अंतर्क अध्वतिस्थि :
 - (६) कार्द्ध कारखाना
 - (३) कार्र कार्यमाला :
 - (न) कार खान, तल प्रयथा तल का गुजा, खरान प्रयक्त प्राकृतिक नंगाधनों के निष्कर्षण का कोई धन्य स्थान .
 - (६) कोई माल-गोदाम जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भण्यारण सुविधाएं सहैता करता हो ;

(त) कोई फार्स, बरान प्रथव। ग्रन्य स्थान भ्रष्टा कृषि, बन बागवानी।
 ग्रम्यवा नहवेदेवी भागे किए जाते हो ;

- (अ) कोई परिसर जिसका प्रचल विकास स्थल प्रथल प्रथ
- (ञा) कोई शिवाधापन भ्रथना गेरचना जिसका प्रयोग प्राकृतिक समाधनों की खोक के विष्णु किया जाता है अल्ले कि वे कार्यकलाप किसी 12-माह को प्रयुधि से एक प्रविधि प्रथनो 183 दिन को ग्रद्धि ग्रयंश श्रधिक श्रवधियों के लिए किए जाते हैं ।
- (ट) लोई भवत-स्थल प्रथम कोई निर्माण कार. प्रतिरक्षिप प्रथम प्रयोगन परिस्तित। प्रथम। उनमें संबंधित प्रवेदता कार्यक्रमाप, जहां ऐसा स्थल, परिस्तिती प्रथमा कार्यक्रमाप (ऐसे स्थलों परिस्तिजनाओं प्रथमा कार्यक्रमाणें, प्रति कोई हो के साध-साध) 183 दिन प्रथम। उसमें प्रधित गमय के लिए चालू रहते हों ;
- 3- इस अनुच्छिद के पूक्यती उपवर्धी के हाते हुए की, 'स्वाधी संस्था-पन' पद में निस्तितिखन को शामिल नहीं माना जाएका
 - (क) किसी उद्यम के माल अश्रवापण्य वस्तुओं के केयन भण्डारण अथवा प्रदर्णन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का रहील ,
 - (ख) केवल भण्डारण भधवा प्रदर्शन के प्रयाननाथ उद्यम के माल भारता पण्य जन्तुओं का स्टाबा रूपना ,
 - (ग) किसी प्रत्य उद्यम द्वारा केवल संगोधित किए काने के प्रयोज-नाथ उद्यम के माल ग्रथवा पण्य करनुओं का स्टाक रखना ,
 - (घ) किसी उद्धम के लिए माल प्रथका प्रथ्य करतुआं का केवल क्षय करने प्रथका सुचना एकच करते के प्रिक्तिश कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ;
 - (इ) उद्यम के लिए, प्रनन्य रूप से थिक्कापन दने, गुचना प्रदान करने, येज्ञानिक प्रमुमंद्रान प्रथवा ऐसे भ्रन्य काल कथाएं के सर्देश में जो प्रानीसक श्रयका सहायक स्वश्य के हो, शाराबार का कोई निश्चित स्थान रखना ;
- 4 पैराजाफ । तथा 2 के उपबन्धों के होते हुए भी, भन्नां किसी स्वतंत्र हैिसबत के प्राधिकची, जिस पर पैराजाफ 5 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति एक संविद्याकारी राज्य में दूसरे संविद्याकारी राज्य के किसी उधम की जोर से कार्ज कर रहा है की उस उधम के प्रथमोतिक किस राज्य में उस विद्याल में एक स्थानी सन्धान होना मता अस्पता, यांव
 - (क) उसे उस राज्य में उद्यम की और के कांव्यान सम्बंध करने की प्राधिकार प्राप्त हो और वह व्यावहारिक क्य के उस प्राधिकार का प्रभीत करता ही, जब तक कि उसके कार्यक्रमाय उस उद्यम के लिए माल प्रथमा पण्य तस्तुन खरीवने तक है। कीमित ही
 - (ख) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार ने ती, परन्तु वह प्रथमोत्त्र राज्य से व्यापक्षारिक का से मील अथवा परम्वत्युकी का स्टात रखना ही जिसमें से यह उस उद्यमका और से गाल और पण्यत्यन्तुओं की नियमित रूप से दिसीयरी करता ही। प्रथमा
 - (ग) तर प्रयम्तिकाधिक राज्य म. समगार ज्ञाया, जामनः भगवत . स्थ्य उद्यम के लिए ध्रप्या उस उद्यम के लिए तथा खरार उद्यम्ति के लिए जो उस उद्यम को निर्मालक करते हो उसके आर्यान निर्मालक होता हो, ध्रप्या उसी प्रयास के लियां ज्ञाय के अर्यान हो।
- 5. एक सबिदाकारी राज्य के उप्रम का इसरे संविद्याकारी साझ्य म साल इस कारण बोई स्थानी संस्थापन होना नहीं माना जाएमा वि यह रण पर्न पर्ना प्रतिक्षी उत्तर संस्थापन स्वीतात एक स्वाप्त स्वरूपन

हैनियन बंध निर्मा प्रस्य एजेंग्ट के भाष्यम से कारोबार करता है, बक्तें कि ऐसे व्यक्ति प्रमेने कारोबार का काम सामान्य कर से कर रहे हीं लिकिन, जब किसी ऐसे एजेंग्ट के कार्यकारा पूर्णतः अथवा आया पूर्णक स्वय उस की और में अथवा उस उसम आर अन्य उसमों की ओर में किए जाते हों जो उस उसम की निर्मालन करते हों, उस उसम द्वारा निर्मालन के अर्थान हों, तो उस उस स्थित में इस प्रमास की मामान्य निर्मालन के अर्थान हों, तो उस उस स्थित में इस पैरामान्य कि अन्तर्भम एक स्थान होस्यत का एजेंट नहीं समझा आएम। ।

6. यदि कोई कम्पनी, जो एक मंत्रिदाकारी राज्य की निकासी है, किसी ऐसी कम्पनी को निक्रीतित करती अथवा कियी नामती द्वारा नियिति होती है, जो दूसरे गीविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा को उस दूसरे राज्य में (बाहे किसी स्थापी संख्यापन के माध्यम से अपवा मन्याम) कारीबार करती है तो माख उस तथ्य में है। उन वेशी कंपीनर्सी में में किसी भी कम्पनी की हुनी की स्थापी नर्सी सम्बाध नर्दी हो। अस्पारी नर्सी साथ जारीबार करती है। साथ उस तथ्य में है। उन वेशी कंपीनर्सी में में किसी भी कम्पनी की हुनी की स्थापी नर्सी सम्बाध जारीकार करती है।

यस्ब्छेद ६

धवल सम्पत्ति से ध्रास

- 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे लेक्द्राकारी राज्य में स्थित श्रमल सम्मात ने प्राप्त अध्यापन उस दूसरे राज्य में कर लगाया भा सतेना ।
- 2. "प्रचल सम्पत्ति" पर का अर्थ थही होता जो उस सांवरकारी राज्य के कातून के प्रकारित उसका अर्थ है जिससे संबंधित सम्बन्धित है। इस पर में किसी भी हालत में ये कासिल होते—असल सम्पन्धि के प्रवसाधन के रूप में तम्बन्धि, हार्प और वातिकों में प्रयुक्त पणुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू सम्पन्धि संबर्धा सामान्य कानून के उपबंध खागू होते हीं, प्रचल सम्पन्धि को मोलने का अधिकार और खांतन भण्डार, स्वात तथा प्रक्ष्य पातृतिक संसाधनों के संच पन के लिए अथ्यां कार्य करने के प्रधिकार से प्रतिक्रण के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियम प्रदायगियों के प्रधिकार । जलयान, नीकाण तथा यालूयान असल सम्पन्धि मही मान जाएंगे ।
- 3. पीराज्ञाफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष अपबंध, उसे किराए पर देने अवदा किसी पत्य प्रकार के प्रयोग से होने बाली अत्य पर सानू होने 1
- 4 पैराप्राफ । तथा 3 के उपबंध, किया उगम की प्रजान सम्योद से प्रजित प्राय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तियत सेवाओं के निव्यदिन के लिए प्रयुक्त अचल सम्योत्त से अजिल अध्यक्त भी लागू होते ।

447.00% 7

कारोधार से लाभ

1. किसी संविद्याकारी राज्य के किसी उद्यम के लास पर केसल एसी राज्य में कर लगाया अग्मा जब तक कि वह उद्यम दूसर गरिव्याकारी राज्य में कियत किसी स्थापी संस्थापन के मान्यम से उस राज्य से कारी-बार तहीं बारता की गरिवे यह उद्यम उपर्युक्त वरिके से कारी-वार करता ही तो उस उद्यम के लासों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है किन्तु उसके केवार उसने प्रंण पर ही कर लगेगा की किन्निकालत के करण उसने हुंचा माना जा सामा है- (१०) का राज्यों से क्षांचा (१०) का पूसरे राज्या स एक-समान अवधा अन्य किसी-कुन्ते मान प्रथम पत्र्य बरतुओं की विकी जो उस रथायी संस्थान के मान्यम से की जाती है; अचन (ग) उस दूसरे राज्य में कारोबार संबंधी किए जाने वाले एक-समान श्रम्य कार्यकत्याप ग्रम्या उससे मिलले-कुन्ते वार्यकत्यात को एक-समान श्रम्य कार्यकत्याप ग्रम्या उससे मिलले-कुन्ते वार्यकत्यात को एक-

- 2. पैराग्राफ 3 के उपवंधों के ग्रधीन रहते हुए जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उग्राम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जरिए कारीबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने बाले लाम को उस स्थायी संस्थापन का लाम समझा जाएगा जो उसको प्राप्त होने की तब अपेशा रहती जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या उससे मिलते-जुलते कार्य-कार्यामें में लगाहुआ कोई निष्चित और भिन्न उग्रम होना और उस उग्रम के साथ पूर्णतः स्वतुन्न हम से कारोबार करता, जिसका यह एक स्थामी सस्थापन है। किसी भी हालत में जहां किसी स्थायी संस्थापन के कारण लाभों का सही राधाका निर्धारण करन प्रक्षम है अथवा उसके निर्धारण में प्रसाधारण कठिनाश्यां आती हैं जो स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों की गणना किसी उचित प्राधार पर की जाए।
- 3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभी के निवीरण में उन व्ययों की कटीतियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जो स्थायी संस्थापन के कारीबार के प्रयोजनार्थ किए गए, हीं, जिनमें छा प्रकार किए गए कार्य-कारी तथा प्रशासनिक स्पय भी शामिल होंगे जी इस राज्य के नराधान कानुनों के उपमेक्षों के अनुसार हो और उनकी परिधि के अन्वर आने ही फ़िर चाहे **ये** उस राज्य में किए गए हो जहां स्थायी संस्थापन स्थित श्रथवा श्रन्थव किए गए हों । किन्तू स्थार्थः संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय की प्रथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय (बास्त-विक स्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) को रायिष्टियों, पेटन्टों, जानकारी श्रयवा श्रन्य अधिकारों के उपयोग के बदले फीलों श्रथवा ऐसी ही श्रन्य अदायगियों के सीर पर अथवा की गई विभिन्छ सेशओं अथवा प्रबंध-ब्यवस्था के लिए कमीशन भ्रथवा श्रस्य प्रभानों के तर पर, अथवा किसी बैक उद्यम के मामलों को छोइकर, स्थायी संस्थापन को उक्षार किए गए धन पर आज के रूप में यदि कोई रक्षमें श्रदाकी गई हों सो उनके संबंध में ऐसी किसी कटौती की स्बीइति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार किसी रथायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उन रकमो को हिसाब में नहीं लिया जाएगा, जो स्थायी संस्थापन बारा उद्यग के प्रधान कार्यालय की या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय के स्थायी संस्थापन द्वारा रायिन्टियों, पेटेस्टों, जानकारी अथवा अन्य श्रांश्रकारों के उपयोग के ववले फीसों प्रथवा ऐसी ही धन्य प्रदायगियों के छा में की गई विकिट रोबाओं श्रथवा प्रबंध-व्यवस्था के लिए कमीशन ग्रथवा अन्य प्रभारों के रुप में श्रयका किसी बैक उद्धम के मामलों को छोड़कर उद्धम के प्रधान क बिलय को श्रयका उसके अन्य कार्यालयों में से किनी कार्यात्र को उधार विए गण धन पर व्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्याला या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय (बास्तविक ब्यय की प्रतिपृति से भिन्न स्प में) को प्रभारित की गई हो।
- 1 जहा किसी संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लामी को उसके विभिन्न भागों में धनुभाजित किए जाने के आधार पर, तिसी रवारी संस्थापन के कारण उराप्त हुए माने आने वाले लामी को तप करने की प्रधा रही है, बहा पैरावार 2 की कोई भी बात उस महिदाकारी राज्य की कर लगने बाले लाभी के ऐसी प्रधागत अनुभाजन-पद्धति से निर्धारण में प्रतिबंधित नहीं करेगी; लेकिन अपनाई गई अनुभाजन-पद्धति ऐसी होती कि उसका परिणाम इस अनुष्ठिक में निव्हित निक्कानों के अनुसार होता।
- 5. कोई लाम केवल इस कारण से किमी स्वायों संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना आएगा कि उस स्थावी संस्थापन बार। उद्यम के लिए माल या पण्य वस्तुरं खरीदी गई हैं।
- 6. पूर्ववर्ती पैराप्राफ्नों के प्रयोजनार्थ स्थानी सम्यापन के कारण उत्पन्न मुण् रापक्षे जाने बाते भानी की तब तप चार्यनुबर्ध हमें। पद्धित से निर्धारित किया जाता रहेगा। जब तक कि उसक विश्वत बाई ठीक तथा प्रयोचा कारण नहीं हो ।
- 7. जहां भाग की मदों में लाभों की वे मदे शामिल हैं जिनका इस धरिसमय के धन्य अनुच्छेतों में पिवेचन किया गया है शहां लग चनुच्छेतों क उपना इस समृद्धे न अपन्या स अन्यातिक नदा हाने ।

ग्रनुच्छेद 8

विमान परिवहन

- किसो संविधाकारी राज्य के जि.मी उद्यम द्वारा प्रत्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुवान परिचालन से प्राप्त लाओ पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।
- 2. पैराप्राफ़ । के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभी पर भी लागू होंगें ।
- 3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध डेनिंग, नार्वेजियन तथा स्थोडिया विमान परिवहन कनसार्टियम, जिसे स्केंडिनेबियन एयरलाइन्स पद्धति (एम. ए. एस.) के इत्य में जाना जाता है, द्वारा श्रीजन लग्नों पर लाता हैंसी, परन्तु डेट डेनिंग डेन्स्के लुफ्तफ्राटलेलसभाव (डी. डी. एल.) स्केंडिनेबियन एयरलाइस्न सिस्टम (ए. ए. एस.) के डेनिंग भागीदार द्वारा धारित संघ में केनस्थारियों के अनुस्य उकत लाभ के उर्ध्य भाग पर ही लाग होंसे।
- 4. इस धनुष्केद के प्रयोजनों के लिए धन्तरराष्ट्रीय यानायान में विमान परिचालन से संबंधित निधियों पर के व्याज को ऐसे विमान-परिचालन से प्राप्त लाभ माना जाएगा, तथा ध्रमुष्केद 12 के उपबंध ऐसे व्याज के मामले में लागू नहीं होंगे।
- 5. "विमान-गरिचालन" से नातार्थ होता.—विमान के मालिकों या पट्टेदारी अथवा अवजेताओं द्वाराधिमान द्वारा यातियों, डाक, पण्छन अथवा माल के परिवतन का कारोबार जिसमें अन्य उचमों की और से ऐसे परिवतन के लिए टिकटों को बिकी, विमान का आक्रांस्पक पट्टा तथा ऐसे परिवतन से अत्यक्षतः संबंधित कोई प्रस्य कोर्यकलाए णामिल हैं।

भन् ग्रहेद १

जहाजरानी

- भ्रन्तरराष्ट्रीय यानायान में अलयान के प्रचालन से भ्रजित लाभ उस संविदाकारी राज्य में ही कर याय होंने, जिसमें उद्यम के प्रभाश प्रबंध का स्थान स्थित है।
- 2. पैरामाम 1 के उपवंधी के होते हुए भी, ऐसे लाभी पर प्रत्य संविदालार राज्य में कर लगाया आएगा जिसमें टेलामी को प्राप्त किया जागा है विगर्ते कि ऐसा प्रभारित कर:
 - (क) द्वेस प्रभित्तमय के लागू होने के बाद प्रथम पान विनोध वर्षी के दौरान 50 प्रतिभत, श्रीर
- (ख) श्रनुवर्ती पांच विशीय वर्षी के दौरान 25 अतिशव ; कर से श्रविक नहीं होंगा जो अन्यशा उस राज्य के अन्तरिक कानून हार लगाया गया हो । बाद में, पैराग्राफ । के उपबंध ही लागू होंसे ।
- 3. पैराग्राफ १ के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार प्रथवा किसी धन्तरराष्ट्रीय परिचालन धरिकारण म, भी जलवानी के प्रचालन में रत हैं, भाग लेने से प्राप्त लागी पर भी लागू शांग ।
 - इस धनुष्छेद के प्रयोजनाथ :
 - (क) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयातों के प्रवालत में संबक्ति विधिया पर ब्वाज को ऐसे जनमानों के प्रवालत में प्राप्त आप के रूप में माना जाएगा और अनुकट्टेर 12 के उपगंध ऐसे व्याज क सक्ष में आमू नहीं होते, पार
 - (ध) जलयाना क प्रवासन से प्राप्त लाना में प्रत्याप्तृत्य प्राप्तात में माल प्रथमा पण्य वस्पुत्री के परिवहन के मंबंध में कान्टेनरीं (जिनमें कान्टेनरीं के परिवहन के लिए ट्रेयर क्षथा तत्नमंबीधी साज-सामान गामिल हैं) के इस्तेमाल, रख-रखाब अथवा किराए क प्राप्त साथ प्राप्तित हैं !

धनुष्टेद 10

गहयं। शिक्षम

जहां :

- (क) एक संविकाकारी राज्य का कोई उद्यम हुनरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की अवंग-अवनाया, नियंत्रण प्रथवा पूंजी में प्रत्यक्षता सा अप्रत्यक्षता संग लेका है. अथवा
- (ख) वे ही ब्यक्ति एक संविद्याकारी राज्य के किसी उद्यम श्रीर हुमरे संविद्याकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध-स्मवस्था निसंत्रण का पूंजी में प्रकारत अवया अजन्यज्ञन : भाग लेवे हैं।

भीर दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनी उद्यमों के बील उसके वाणिज्यक अथया विशीध संबंधों में ऐसी मनें रखी अथया समाई जाती है, जो उन सनों से भिन्न है, जो कि स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, यहां ऐसा कोई भी लाभ, जो उन सनों के नहीं होने की स्थित में उन उद्यमों से एक उद्यम को आज हुआ हाता, किन्तु उन जाती के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उन उद्यम के लाभों में मामिल किए जा सहेंसे और उन पर नदनुषार कर लगाया। सकेंगा।

2. जहां कोई संविदाताशी राज्य प्रपने लाभो को एस राज्य के किसी जग्रम के लाभों में णामिल करता है और उस लाभों पर तदमुमार कर लगाना है, जिन पर दूसरे सावेदाकारी राज्य के किभी जग्रम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और शामिल किए गए इस प्रकार के लाम में लाम हैं जो प्रयमीलिलिखत राज्य के जग्रम को प्राप्त हुए हैं, यदि हो जग्रमों के बीच एवी गई गर्ने लगी थीं, जो स्वतंव उग्रमों के बीच एवी गई गर्ने लगी थीं, जो स्वतंव उग्रमों के बीच एवी गई गर्ने लगी थीं, जो स्वतंव उग्रमों के बीच एवी गई होती, तो वह दूसरा राज्य जन लाभों पर उप राज्य में लगाए माए कर की राश्च का उत्तित समायोजन करेगा । ऐसे समायोजन का निर्धारण करने समय इस प्रशित्माय के अन्य उपवधीं की श्रीर भी व्यान देना होना और संविदाल की राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों की, यदि भावेर एवक हुआ, एस-दूसरे से परामर्थ करना होना ।

भ्रमुच्छेत्र । 1

ल आंश

- एक संविद्याकारी राज्य की नियाकी किसी कस्पनी द्वारा दूसरे सिविद्यासारी राज्य के किसी निवासी को खदा किए गए लाभांग पर कर । उस दूसरे राज्य में लगाया की सकता है।
- 2. तथापि, ऐसे लाजांगी पर उस संविद्यागरी राज्य में भी कर लग सकता है जिस राज्य की सामांग प्रदा करने यापी कम्पनी निवासी है और यह कर उस राज्य के कामृत्ती के अनुसार सरोगा, सेकिन यदि प्राप्तकता सामांगी का हित्योंकी स्वामी है तो इस प्रकार समाया कर निम्नसिक्षिय से अधिक नहीं होंगा:
 - (क) लालों की गाल रुग्म का 15 प्रतिशक्त यदि हित्रभावी स्थामी बोई ऐसी कमानी है. जो नासाश प्रकारिय विशिक्षमनी के जम से गम 25 प्रतिश्व विषये का स्थापी हो।
 - (ख) भन्य सभी कामता में लाकाशी का राक्ष्य रजम का 25 प्रतिक्रते सिदाकारी राज्यों के गक्षम प्राधिकारियों की इस सीमाप्तीं की लाग करने का तरीका शामती सहयोग में निपटाया काण्या। यह पैरायाफ ऐसे लाभी के मामले में कम्पनी के कराधान की प्रकार का का वाला का जिल्हें के सामले में कम्पनी के कराधान की प्रकार का किए जाती है।

- 3. ध्य धनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लाभांग" पद का अर्थ है ग्रेथरों से अपना अन्य अधिकारों से प्राप्त आय, जो ऋण-धावे नही हों, लाभों में सम्मिलित हों, तथा जन्य निर्मात अधिकारों में प्राप्त आय जिस पर उसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लागु होती है, जो उस राज्य के कानुनों होरा शेयर से अपना आय पर लागु होती है, जिस राज्य की वितरण करने वाली कस्मिनी निकासी है।
- 4. पैरायाफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांगों का हितभागी स्वामी, संविद्यकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविद्यकारी राज्य में, जिसकी लाभांश ग्रदा करने याली कस्पनी निवासी हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के साध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से उसमें स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं करता हो और वह सम्पत्ति, जिसके मंबंध में लाभांश श्रदा किए जाते हैं, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन श्रयवा निश्चित स्थान से प्रभारी एप से संबंधित हो। ऐसे मामले में यथा स्थित कमुंच्छेद 7 अथवा अ नुच्छेद 15 के उपवंध लागु होगा।
- 5. जहां कोई कम्पनी जो एक संविद्याकारी राज्य की निवासी है और वह दूसरे संविद्याकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, यहां वह दूसरा राज्य कम्पनी अदा किए गए लाभांशों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को इस प्रकार के लाभांश अदा नहीं किए जाने के उस दूसरे राज्य से किसी निवासी किया प्रकार के लाभांश अदा किए जाने हैं, उस दूसरे राज्य से स्थित किसी स्थायी संस्थापन से अथवा किया निविचन स्थान से प्रभावी क्य से मम्बद्ध नहीं है अथवा कम्पनी के अवितरित लाभों पर लगाया जा सकते नाला कर नहीं तथाया जाएगा जाएगा बाहे अदा किए गए लाभांण अथवा अवितरित लाभ पूर्ण राज्य से अथवा आयोशक रूप से उस दूसरे राज्य में उसका होने नाले लाभ पूर्ण राज्य आये के रूप में ही हों।

प्रतुच्छेद 12

ब्यु । ज

- अतुष्ठिव 8 के पैर, प्राफ 4 के उपन्य और अनुष्ठिद 9 के पैरामाफ 4(क) के उपनिर्धा के श्रवीन किना संविधाकारी राज्य में उत्पक्त क्याज को यदि दूसरे संविधाकारी राज्य किमा निवासी को भवा किया जाता है, तो उस पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
- 2. तथापि, एंसे ब्याज पर उस संविद्याकारो राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, जिसके यह उत्पन्न होता है और उस राज्य के कानृतों के भ्रमुमार होगा। परन्तु, इस अभिसमय के लागू होने की नारीख के बाद दिए गए ऋण अयथा मूजित कर्ज के सम्बन्ध में देव आके पर ऐसा प्रकारित कर निम्मनिखित से अधिक नहीं होगा:
 - (क) सकल राणि का 10 प्रतिणत, यदि ऐस, ब्यांज किसी बैंक ब्राया मंजूर किए गए किसी प्रकार के किसी ऋण पर प्रदा किया जाता है, प्रीर
 - (ख) सभी प्रत्य मामलों में सकल राशि का 15 प्रतिशत ।
- 3. इस अनुक्केंद्र के पैराग्राफ 2 के उपसन्तां के होते हुए भी, किसी संविद्यानारी राज्य से उद्भुत होते द्राले क्यांज पर प्रथमें किलिखन संविद्यान्त्रात्री राज्य से उठ से ठ्ट प्राप्त होती वर्णों कि वह द्रेमरे सायदाकाणी राज्य की सरकार द्रारा उसके किसी राजनेतिक उपस्थाना प्रयक्ष स्थानीय प्रािकरण, उसने सिव्हालारी राज्य के केन्द्रीय बैक अथवा उस सरकार के वित्री प्रविद्यापारी राज्य के निवासी के ऐसे आला श्वा के पार से उस प्रवा के पार से उस पूर्व स्विद्यापारी राज्य के निवासी प्रका निवासी द्वारा, औं उम पूर्व सविद्यापारी राज्य को सरकार, राजनैतिक उपन्यभाग प्रथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण, उस दूसरे सविद्यापारी राज्य के केन्द्रीय बैंक प्रथवा उस सरकार को किसी एकेमी हारा विद्या प्रारा है।

- 1. इस अनुच्छेद से यथाप्रयुवन "ब्याज" गब्द से अभिने हैप्रत्यंक प्रकार के अनुण कायों से प्राप्त, आय सहियह प्रबंधक द्वारा प्रतिभृतं ही अथवा नहीं और चाहे कजिदार के लाओं से भाग लेने का अधिकार रखना हो या नहीं और खाम नींग पर, सरकारी प्रतिभृतियों से प्राप्त आय तथा बंधपतों या ऋण पत्नों से प्राप्त आया, जिससे ऐसी प्रतिभृतियों, बंध पत्नों या ऋणपत्नों से सम्बद्ध प्रीसिधम तथा पुरस्कार गामिल हैं। बिलम्ब से की गई ग्रदावनों के लिए वाण्डिक-प्रभागों को इस ग्रनुच्छेद के उद्देश्य के लिए ब्याज नहीं माना जाएगा।
- 5. पैराप्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध उन स्थित में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हिने सानी स्वामा एक संविद्याकारी शाज्य का निधानी होंने से, दूसरे संधिदाकारी राज्य में, जहां ब्याज उत्सन्न हुआ हो। उसने रियत किसी स्थामी संस्थापन के माध्यम में ब्यापार करना हो प्रथवा उस इसरे राज्य में स्थित किसी निष्न स्थान से स्वतन्त्र व्यक्तिमत से स्थाप निष्पादिक करता हो तथा जिन ऋण दावे के संदंध में ब्याज प्रदा किया जाता हो बह ऐसे स्थापों संस्थापन अथवा निष्कार स्थान से प्रभावी हम से सम्बन्धित हो। ऐसे सामले में, अनुष्ठेद 7 अथवा अनुष्ठेद 15 के उपबन्ध, जैना भी सामला हो, लागू होंगे।
- 6. किसी संविद्यांकारी राज्य में स्थान उत्सूत हुझा तब भाना जाएगा यदि ब्यास प्रदा करने वॉला स्वयं वह मंबिदाकारी राज्य, उस राज्य का काई राजनीतिक उप-भाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो । किन्तु जहां ब्यान प्रदा करने वाले व्यक्ति को, चाहें वह किसी गांवदांकारी राज्य का निवासी हो अयवा नहीं, किसी संविद्यांकारी राज्य का निवासी हो अयवा नहीं, किसी संविद्यांकारी राज्य का निवासी हो अयवा नहीं, किसी संविद्यांकारी राज्य का निवासी हो अयवा निवास स्थान है, जिसके सम्बन्ध में वह ऋणे लिया गया था जिस पर ब्यान की प्रवासी की गई है, तथा ऐसा ब्यान उस स्थासी संस्थापन था जिस करवा की प्रदाधनी की गई है, तथा ऐसा ब्यान उस स्थासी संस्थापन अथवा क्यान कियान स्थान द्वारा वहन किया जाता है, क्या ऐसा ब्यान उस संविद्यांकार राज्य में उद्युश्य हुआ माना जाएगा जिसमें स्थासी संस्थापन अथवा निविचन स्थान स्थित है।
- 7. जहां ब्याज प्रदा करने वाल तथा हिन्यानी रथीमी के भीष प्रथन जन दोनों के भीर किया प्रत्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का कोई संबंध होने के बारण, प्रदा की गई ब्याज को रकम अब की गई है, किया को ध्वान में रखने हुए जिनके लिए ब्याज को रकम प्रवा की गई है, किया भी कारण उस रकम से बड़ जाती है जिसके लिए धन प्रतार का सम्बन्ध गती होने की स्थित में प्रदा करने वाले और हिल भागी स्थामी के बीच सहमति ही गई होनी, बहा धम अनुक्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम लिए रकम के अलि प्रतास स्थान की रकम के अलिए भाग पर, इस अभिन्न के भ्राय उपबन्धों को सम्बन्ध अनुगालन करने हुए, प्रत्येक संधिदाकारी राज्य के कान्यों के अनुगार कर लगाया जाएगा है.

धन् केद । ।

रायिष्टया और नकनीको सेयाओं के लिए फीस

- 1. एक स्विद्यारी राज्य में उद्भुत होते वाकी तथा इसरे सविद्या-कारी राज्य के किनी निवासी की घटा की गई स्विटियों तथा इसरे क्वनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उन इसरे राज्य में कर काणा का मुक्ती ।
- २. नवागि, ऐसी नापिल्डन तार तकनीकी सक्षत्रा के निए परिष्य पूर्वत मिन्द्राकारी राज्य में जार कर राज्य के कान्ती के सलसार कर क्याया जा सक्षेत्रा, जिससे वा उद्भाव होती है। लेकिन यदि प्राप्तकता रायित्वी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए कीस को लाभगारी स्वामी है, तो अस प्रभार लगाया कर रायित्वी प्रथवा तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त की राज्य कर रामि की एक प्राप्त की प्राप्त की लिए प्राप्त की का राम्प की एक प्राप्त की प्राप्त की राज्य की सेवाओं के लिए प्राप्त की की राज्य क

- 5 हम अनुक्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियाँ" जब्द के ताल्यवे किसी भी प्रकार की ऐसी अदायियों से हैं, जो स्वित्यिक कलात्मक, अथवा बैजानित कलियों, जिनमें बनवित्र, निर्म में निर्म प्रणात रूपलेंग गर प्रमान की निर्म प्रयान की निर्म प्रयान की निर्म प्रमान है, की 'चेपलें की निर्म प्रयान की निर्म प्रमान है, की 'चेपलें की किसी लोग प्रयान माणा मान मान प्रशान प्रयोग प्रयान प्रपान के किसी की किसी लोग प्रयान में प्रयोग के लिए अथवा प्रवोगिक, वाणिष्टिक अथवा प्रवाणिक प्रयान की लिए प्रयान औद्योगिक, वाणिष्टिक प्रयान की लिए प्रयान औद्योगिक, वाणिष्टिक प्रयान की निर्म प्रयान की किसी प्राप्त की निर्म प्रयान की किसी प्राप्त की किसी प्राप्त की निर्म प्रयान की निर्म निर्म की निर्म प्रयान की निर्म प्रयान की निर्म निर्म प्रयान की निर्म निर्म प्रयान की निर्म प्रयान की निर्म न
- त. एक अमृच्छेद मे यथा-प्रयापत 'गकर्नाकी सेवाओं के लिए फी.स' एवंद से प्रबन्धकीय नक्षमीकी अथवा परामर्गयः सं ज्वरूप की सेवाओं की प्राप्तका में, जिससे नक्षनीकी अथवा अन्य कामिकों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामित है, जवायरियां करने बाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी की की की की बाई अवायरियों से भिन्न किसी व्यक्ति की की पर्त किसी भी रक्षम वी अवायरियां अभिनेत हैं।
- 5, वैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध उग स्थिति में लागू सही होगे विद रायित्यों प्रथवा तकर्तकों मेवाओं के लिए फीन का हित्यामी रवामी जो एक संविदालामी राज्य का स्वित्यों के लिए फीन का हित्यामी राज्य से एक संविदालामी राज्य का स्वित्यों के लिए फीम उद्भूत होती है, उसमें स्थित किसी स्थायी गंस्थापन के माध्यम से सारोबार करता है यथवा उमे पूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थात में स्वतंत व्यक्तिमा सेवाएं सिल्पावित करता है तथा यह प्रधिकार सम्पत्ति, प्रथया मंविदा, जिसके माध्य से साथितिया अथवा नकतीकों सेवाओं के लिए फीन अथा की गामी है, ऐस नाजी पंत्रपात अथवा निश्चित स्थात से प्रभावी कर से गर्माधित है। ऐसे मामले में अनुष्किद 7 अथवा अनुष्किद 15 के जारध जैसा भी मामला हो लागू होने ।
- 6. किसी संविद्यकारी राज्य में रायित्यां तथा तकसीरी सेवाओं के लिए फीम उस स्थित में उद्मत हुई मानी जाएगी, यद श्रद्या करने वाला स्वयं यह राज्य, कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधि करण श्रथ्य। उस राज्य का कोई तिवासी हो । परत्न, जहा रायित्यां श्रथ्य। तकसीनी सेवाओं के लिए फीम श्रद्या करने जाले व्यक्ति का चाहे वह विभी मीवदावारी राज्य का निवासी है श्रथ्या नहीं, किसी संविदान कारी राज्य में कोई स्थायों संस्थापन श्रयंचा निव्यक्ति स्थान हो जिसके सम्बद्ध में रायित्यां प्रथ्या तकनीती सेवाओं के तिए फीम श्रद्या करने की देववारी उत्तरम हुई हो। तथा पेती रायित्या श्रयंचा श्रयंचा करनीकी सेवाओं के लिए फीम श्रद्या संस्थापन श्रयंचा (संस्थापन श्रयंचा निव्यक्ति सेवाओं के लिए फीम प्रदा करने की विवयों श्रयंचा। संस्थापन श्रयंचा तकनीकी सेवाओं के लिए फीम द्वारा बहन की अली हैं। तब ऐसी रायित्यां श्रयंचा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस्त राय्व में उद्मुन हुई मोनी जाएगी जिससे उक्त स्थान। संस्थापन श्रयंच निव्यक्त स्थान स्थान
- 5. जहां घ्रदा करने चील तथा हित्यांगी, स्वामी के दील घ्रप्या उन दोनों और कुछ घ्रन्य व्यक्तियों के दील विशाप्त सम्बन्ध होने के लारण रायित्यों घ्रप्या करनीकी रोताओं के लिए घ्रदा की गई कीस की एम घ्रम की गई कीस की एम घ्रम उन रक्षम से बढ़ जाती है जो ऐसे संबंधों के नहीं होने की स्थित में घ्रया की गई होती, नहीं इस ध्रनुक्तेंद्र के उपया केषण अतिम विणय रक्षम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, घ्रदायितों की रक्षम का प्रतियित्त बान इस ध्रम्ममा के प्रत्य उपबन्धों का सम्बक् ध्र्यात रेवती हुए प्राप्ति संविधकारी राज्य के षास्त्रों के घ्रम्मार कर प्रतान कार संवय देखा

शनुच्छेव ा ।

पंजीगत श्राभिकाभ

ा. एक संविद्यकारी राज्य के विसी नियामी द्वारा मनुष्ठिद 6 में इिल्लिन और दूसरे संविद्यकारी राज्य में स्थिप प्रचल समानि के अंतरण से प्रान्त होने बाले श्रीभ्लाओं पर उम इसके राज्य में कर नकाला जा सकता ।

- 2. चन सम्पत्ति के जंतरण से प्राप्त हुए प्रभिन्नामां पर जो एक संविधाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थाया मंस्थापन की व्यापारिक गत्या। के भाग के रूप में दूबरे संविधावारी राज्य में स्थित है प्रथमा जो एक संविधाकारी राज्य के किसी विद्यारी की राज्यों व्यक्ति स्थिता से भिन्ना के विद्यार के प्रयोक्तार्थ दूकरे संविधान की राज्य में एक्षणा विश्वित प्रयोग में सम्बर्धित धान गतानि भी, जिनम की स्थाने एक्षणान के प्रस्तरण से होते बाल ऐसे प्रभित्ताम भी गामिल हैं, उन पर दूसरे राज्य में कुछ वस्तरण जो सकेंगा।
- अन्तरराष्ट्रीय यतियात में बलाए जाने कले जलयानों अववा वात्यानों अववा इस प्रकार के जलयानों अववा वायुवानों के संजालन से सम्बन्धित चल सम्पन्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका कि अन्तरणंकत्ती निवासी है।
- 4. हैिन्ण, स्थिष्णि और नार्वेजियन बायु परिवहन कन्नोटियम स्केडीनेबियन एवरलाइन्स लिएटम (एस. ए. एस.) द्वारा प्रिजिम लामों के नम्बन्ध में इस पैराधाफ के उपबन्ध ऐसे लामों के केवल उस समानुपान में ही लागू होंगे जो कि देन दानस्थ लुपतफारटेमल्सकाव (दी. डी. एस.) स्केडिनेबियन एयरलाइन्स सिस्टम के उनिण सहभागी द्वारा उस कल्यों- टियम में द्वारित की हुई सहभागिता के अनुस्य हो।

किसी ऐसी कम्पनी के पूंजीमन स्टाक के भैपरों के अन्यरण ने प्रास्त अभिकाभों पर, जिसकी सम्पन्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पन्ति हो। उसी राज्य में कर लगाया जो सकेगा।

- 5. किसी ऐसी कस्पनी के पैराश्राफ 4 में इतिनिख्त गेपनों से भिन्न गेपनों के प्रान्तरण से प्राप्त प्रक्षिताओं पर. जो क्यानी किसी संविद्याकारी राज्य की नियासी हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा बशर्त कि ऐसे गेपनों की रकम उस कम्पनी की गेपन पंजी की यम में कम 10 प्रित्याल हो।
- 6. पैराप्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित गमात्ति से भिन्न किसी भी सम्पन्ति के प्रत्याण से प्राप्त प्रभिलाओं पर उसी संविदाकाश एउप में कर लगाया जा सकेंगा जिसका श्रत्यरणकर्ती निवासी है।

धन् च्छेद 15 स्थनस्य व्यक्तिगत सेयाण

- 1. किसी ब्याटि द्वारा जो एक संबिद्धकारी राज्य का निवासी है, ब्यावसायिक सेवाओं प्रथवा उसी स्वस्थ के बच्च स्वतन्त्र कार्यकारायों के सिष्पादन से प्राप्त काय, निस्तिबिक्षत परिस्थितियों को छीन्कर, जब ऐसी ब्याय पर दूसरे संविद्धकारी राज्य में भी कर लखाया जा सकेगा, बोबल उसी राज्य में कराबैय होगी।
 - (का) यदि उसे अपने कार्यकलागों के निपादन के प्रयोजनार्थ दूसरे लेकिदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान निर्धासत रूप से उपलब्ध है तो उस मासके में उस दूसरे राज्य में उत्तरी रकम पर कार लगाया जा सकेगा जो उस मिकित स्थान के कारण उद्दम्त हुई मानी जा सकती है, अववा
 - (ख) यदि दूसरे संविक्षकारी राज्य में इहरते की उसकी भविधि अथवा अविधिया उस दूसरे राज्य के विक्तिय वर्ष में 183 दिन अथवा करने मिलांकार उससे अधिक हो तो उस गामले में, उभन आय के मेवल उन्नते ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा संबंधा औं उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा संबंधा औं उस दूसरे राज्य में निर्णादित उसके कार्यकरानों में प्रीव्य होती हो।

2. "ध्यातमायियक मेथाएं" पर मे त्रियेष रूप से स्थान्त वैज्ञानिक, साहित्यिक, नाशासक, मैक्षिक अयदा प्रध्यापन संबंधी कार्नकलाप नया चिकित्मकों, मत्य चिकित्मकों, बकीनों, दंगीनियरीं, बास्तुवदीं, दन्त-शिकित्सकों तथा तथानालों ने स्तारक कार्यक मार्थ गामिल हैं।

याग-छेई 16

पराधित द्यवित्रमत सेवाएं

- 1. अनुक्छेद 17, 18, 19 और 20 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वार, कियी रिलीधन के संबंध में प्रत्या वंतन, मध्यूरी नथा इसी प्रकार के अन्य प्रतिथिभिक प्रश्चेत्रक्ष उसी राज्य में कर समाया जा सकेगा जब तथा कि उसका निवीजन दूरी संविदाकारी राज्य में नहीं हो। यदि इस प्रकार निवीजन किया जान। है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जी बहां से प्राप्त होता है, उस इसरे राज्य में की लगा जा मुक्या।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविद्याकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा पूर्णरे संविद्याकारी राज्य में किए गए कियी निर्णालन के संबंध में प्राप्त परिश्रमित पर क्रेयन प्रथमीतिनवित्र राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यथि:
 - (क) प्राप्तकत्वां छम दूसरे राज्य के विसीय अर्थ में कृष भिलाकर 183 दिन से छन्नेजन की प्रवित श्रायशा श्रवधियां के निए इस हमरे राज्य में मीनुष रहा हो , तसा
 - (च) पारिजनिक किनी ऐसे निर्देशक द्वारा प्रथमा उसकी और से ग्रहा किया आता है जो उस मुन्दे राज्य का निष्कारी निर्देश है, और
 - (ग) पारिधानक, किसी ऐसे स्वाधी संस्थापन प्रयमा निविधन स्थान इस्स यहन नहीं सिथा भग ही, जो निवेशक का दूसरे रोज्य में हैं।
- ः इस अनुच्छेद के पूर्विभी उत्तवन्यों के होने हुए भी, एक संविदा-कारी राज्य के किसी उथ्यम हारा घरतरराष्ट्रिय यातायान में अनयान बापुयान के परिवालन में किए एए किसी निजीजन के सम्बन्ध में आप्त बारिश्वसिक कर कर उसी राज्य में समस्या जो सकेहा।
- 4. जहां डेनसार्क का नांडि सिटारी। स्केडिनेबियन एपरल इस्स मिस्टम (एम. ए. एन.) कस्मीटियम इत्या अन्तरर पूरिय सान्ध्यात में किसी बायुसान के परिचालन में लिए गए किसी नियोजन के संबंध पारियमिक प्राप्त करता है नो ऐसे परिचालिक पर पर क्षेत्रज छेनसार्क में ही लगाया जाएगा।

धनच्छेद 17

निदेणकों की कीम नथा। उक्त केलीय प्रतिदेश सक्षिक किया का पारिश्वमिक

- 1. एक संविद्यालारी राज्य के सिमी निवासी द्वारा विसे, ऐसी कम्मनी के निद्याला मण्डल को एक सदस्य की हैसियन से, जो दूररे स्विद्यालारी राज्य की निवासी है, प्राप्त निदेशाए की फीस नगा उसने मियानी-जुलनी घदार्याणमें पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेंगा।
- एक संविधाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारी, किर्न, ऐसी कम्पनी के, जो उसरे राज्य की निवासी है, उसने निर्मयकीय पर पर पिसुक्त कमेंकारी की हिस्मिन में आप मैंनेन मजबूरी तथा उससे मिलने जुसते पीरिशमिक उस पर पर इस दुनरें रेडिय में कर निवास। जा मेक्सी ।

प्रनु≂छेद∽18

मतीरं जनकर्मा तथा खिलाड़ी

- 1. जनक्देर 15 गंगा 16 के उपाक्षणों के होते हुए की, निसी संविद्यालने निर्मा विभागी हाल मनोरंजनकारि के रूप में तैमें कि एक भिष्टर अवस्ति गेरिस अपेना युन्दर्भन कालार अध्या एक संविद्याल प्राप्त एक धिकाड़ी के रूप में अपने व्यवस्थात कालेक्खाणों से निस्त्र बहु दुसरे राजिसकारी राज्य में समाप्त करना है, प्राप्त आप पर कर उस दुसरे राज्य में लगा सकेगा।
- 2. जहां किया मनोरंजनसनी प्रश्वा खिलाई। द्वारा हम प्रकार की प्रपन्ते हैंसिया में सम्पन्त निष्णु गए व्यक्तिगत कार्यकलायों के सबंध में उप्भूत होने वाली प्राय स्वयं मनोरंजनकर्ती प्रथवा खिलाई। को प्राप्त नहीं होती है प्रपितु किसी प्राप्त व्यक्ति की प्राप्त होती है, यहां प्रतुष्णिद 17, 15 और 16 के उपवन्धों के हीते हुए भी उसाधाय पशकर उस संविद्या- कार्य राज्य में तथा सक्ता, जिल्लों उपन मनोरंजनकर्ता प्रथया खिलाई। द्वारा ऐसे कार्यकलाप किए गए हीं।
- 3. पैराप्राफ 1 के उपनिधों के होते हुए भी किसी मनीरंजनकर्ता श्रथका किसी खिलाड़ी हारा, जी एक संविद्याकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविद्याकारी राज्य में उसी हीरायत म किए गए अपने व्यक्तिगत कार्य-कलापी से श्रीति अप प्रथमीतिर्वाखन संविद्याकारी राज्य में ही कर याय होती, यदि इसरे संविद्याकारी राज्य में कार्यकलापी प्रथमीतिलिखन संविद्याकारी राज्य की, जिसमें उपके राजनीतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी मानिल ही, सर्वेजनिक निधायों से पूर्णता अथवा पर्याचा समिथिन होती हैं।
- तः पर शाप 2 तथा अनुक्टिय 7. 15 और 16 के उपकेशों को होते हुए भी, जहां भियों। मनोर जनकर्ता अयबा कियी खिलाड़ी द्वारा उसी हैरियत में एक लेक्टिकारी राज्य में किए गए व्यक्तिगत कार्यकलार्थों के संबंध में प्राप्त शाय, मनीजपंतकर्ता अपना जिलाड़ी स्वयं की प्राप्त नहीं होती है गर्त्य कियी अस्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, सो उस मामले में वह आम केवल दूसरे सीवराकारी राज्य में ही कर बीग्य होती, यदि यह दूसरा व्यक्ति कुने राज्य की, जिसमें उसके राजनैतिक उप प्रमाग अथवा क्यानीय प्राधिकरण भी मामिल है, सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अयवा पर्यान्तः समिति किया गया हो।

अनुच्छेद 19

गरकारी सेवा के सम्बन्ध में पारिक्षमिक तथा पेंगन

- 1. (क) एक मन्त्रित कारी राज्य प्रश्नका उपके किसी राजनीतिक उपप्रभाग प्रश्नका किसी स्थानीय प्राधिकरण हारा किसी स्थिरिट की उस राज्य प्रश्ना उसके उपग्रभाग प्रथम प्राधिकरण के लिए की गई सेवापी के निमिन प्रयन गेंगन में भिन्न, पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा।
- (ख) लेकिन ऐसे पारिश्वासिक पर कर दूसरे संविद्यामारी राज्य में केवल तक लग सकेंग शिंद सेवाए उस दूसरे राज्य में की जाती हैं तथा वह व्यक्ति उस राज्य का निकासी है जो
 - (i) इस राज्य का गाँदुका है श्राया;
 - (ii) माल सेकाएं देने के प्रतिकतार्थ उस राज्य का निवासी नहीं बना था।
- एकिमी संविद्य करी राज्य द्वारा अथवा उमके किमी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा मुख्यित किए गए कीय में से किमी व्यक्ति को उमके द्वारा उम राज्य अथवा उपप्रभाग अथवा प्राधिकारण के निर्मात की गई सेवाओं के लिए प्रदत्त किमी पेंगन पर गर नेवल उमी राज्य में की रनेगा।

3. अनुक्छेद 16 और 17 के उपबन्ध किसी संविद्यकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतक उपअभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए कारीबार के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर लागु होंगे।

अनुच्छेद 20

विद्यार्थी और प्रणिक्ष

- 1. किसी विद्यार्थी अथवा ब्यावसाधिक प्रशिक्ष को, डो दूसरे संविद्यालांग राज्य का वीरा करने के सुरात पहले संविद्याकारी राज्यों में से किसी भी संविद्याकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है, निम्नसिवित पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होती।
 - (क) उस द्सरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, जिक्षण अध्यक्षा प्रशिक्षण, के प्रयोजनार्थ उसे की गर्ट अवायगियां; ग्रीप
 - (ख).उम दूसरे राज्य के किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उम दूसरे राज्य में नियाजन से प्राप्त पारिश्रमिक, जो 20000 हैनिश श्राउन भ्रथवा भारतीय मुद्रा में इसके समकक्ष मे भ्रधिक न हो बणतें कि ऐसा नियोजन प्रस्थवत : उसके श्रथ्यवन से मंबिधत हो श्रथवा उसके भारण-पीषण के प्रयोजनार्थ श्रावण्यकः हो।
- 2. इस अनुन्छेद का लाम केवल ऐसी अवधि तक के लिए बड़ाया जाएगा जो शिक्षा अथवा शुरू किए गए प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अवेधित हो परस्तु इस अनुच्छेद का लाभ किमी उपिट को किसीभी हालत में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रयमत: पहुंचने की नारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए प्राप्त नहीं होगा।

अनुच्छेद 21

अन्य आध

- 1. पैराधाक 2 के उपक्रकों के अर्थात स्ट्रिते हुए किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की उन मदों पर कर जहां कहीं वे उद्भुत होती हों, जिनवर इस अभिसमय के पूर्वीक्त अनुष्केदों में स्वष्ट हप से विचार महीं किया गया है, केवल उस मंविदाकारी राज्य में लगाया जा महोगा।
- 2 पैराप्राफ 1 के उपबन्ध, ध्रमुच्छेद 6 के पैराप्राफ 2 में यथा परिभाषित ध्रवत सम्पत्ति से प्राप्त ध्राय से भिन्न ष्राय पर लागू मही होंगे यदि ऐमी ध्राय का प्राप्तकत्ती एक संविद्यकारी राज्य का निवासी होंने के नात, दूसने संविद्यकारी राज्य में, वहां स्थित किसी स्थायों संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अध्या उस दूसरे राज्य में, वहां स्थित किसी निविध्यत स्थान से स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं निज्यायित करता है, तथा ऐसा अध्यक्त सम्मत्ति जिनके मस्वन्ध में ऐसी ध्राय अध्यक्ति आतो है, ऐसे स्थायों संस्थापन ध्रथवा निश्चित स्थान से प्रभावी स्थाप भ्रमावी संस्थापन ध्रथवा निश्चत स्थान से प्रभावी स्थाप भ्रमावी संस्थापन ध्रथवा निश्चत स्थान से प्रभावी स्थाप भ्रमावी संस्थापन ध्रथवा होंगे।
- 3. पैराग्राफ 1 श्रीर 2 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदा-कारी राज्य के किसी निवासी की भाग की ऐसी मदों पर भी, जिन पर बरा श्रीभसमय के पूर्वेक्ति अनुच्छेद में विचार नहीं किया गया है तथा श्रो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भृत होती है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा संवेगा।

प्र**नुष्**छेद 22

पूंजी

- 1. अनुक्टिर 6 में उस्लिखित प्रमल सम्पत्ति दारा निरूपित पूंजी पर जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी के स्वामिस्य में हो तथा अरे संविदाकारी राज्य में स्थित हो, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सर्केगा।
- 2. ऐसी चल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूंजी पर, जो किसी ऐसे रथारी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति के भ्रंग के रूप में हैं, जो एक संविद्याकारी राज्य के किसी उदयम की बूसरे संविद्याकारी राज्य में स्थित हैं, अथवा किसी निष्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति द्वारा जो एक संविद्याकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे सविद्याकारी राज्य में स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्यादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध हैं, निरूपित पूंजी पर, उस दूसरे राज्य में कर सवस्था जा सकेगा।
- 3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयामों भीर वायुवामों आरा तथा आन्तरिक जलक्षरंग परिवहन में रेत मोटर नौकाओं आरा और ऐसे जलपानों, वायुवानों, भीर मोटर नौकाओं के संवालन से संबंधित चल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूंजी पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, जिसमें उद्ययम निवासी है।
- एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूंजी के प्रम्य सभी संस्थों पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा।

भ्रनु उछेद 23

दोहरे कराधान का परिहार

- 1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी मंतिबाकारी राज्य में प्रवक्त कानून अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में, भ्राय श्रीर पूंजी के कराधान के मामले में लागू रहेंगे जब तक कि इस अिन्समय में उनके विनरीत कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया जीता है।
- भारत के मामले में दोहरें कराधान का परिहार निम्न प्रकार से किया जाएगा ।
 - (क) जहां भारत का कोई निवासी इस अिक्समय के उपबन्धों के अनुसार आय प्राप्त करना है अयका पूंजी का स्वामित्व रक्षता है, तो उस पर डेनमार्क में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत उस निवासी की भाग पर उस रकम के बराबर करसे कटीती के रूप में, चाहे प्रताक्ष रूप से प्रथश कटीती द्वारा छूट देगा जो डेनमार्क में ध्रया किए गए ग्राय कर की रकम के बराबर हो; श्रीर उस निवासी की पूंजी पर कर से कटौती के रूप में उननी रकम पर छुट प्राप्त होगी जो डेनमार्क में खबा किए गए पूंजी कर की रकम के घराबर हो। तथापि, दोनों मामलों में से किसी भी मामले में ऐसी कटौती (कटौती दिए जाने से पूर्व यथा संगणित) आयकर अथवा पूंजी कर के उस भाग से अधिक महीं होगी, जो उस आय प्रथवा पूंजी, जैसा भी भामला हो, के कारण उत्पक्ष हुआ माना जा सकता हो जिस पर डेनमार्क में कर लगाग जा सकता है। इसके ऋति-रिक्त, जहाँ ऐसा निवासी कोई ऐसी कम्पर्ना है जिसके द्वारा भारत में भतिकर देव है, वहां डेनमार्क में भदा किए गए श्रायकर के बारे में कटौती प्रथमत: कम्पनी द्वारा भारत में देय भ्रायकर से की जाएंगा और शेष के लिए, यदि कोई हो, भारत में उसके द्वारा देय घतिकर से कटौती की धनुमति दी जाएगी।
 - (श्व) जहां भारत का कोई निवामी इस अधिसमय के उपवन्धों के अनुसार आप प्राप्त करना है अथवा पूंजी का स्वामित्स रखता है, तो उस पर डेनमार्क में हां कर लगेगा, वहां भारत

उस कर धाधार में यह भाय धयया पूंजी शामिल कर सकता है परन्तु भायकर भयका पूंजी कर से कटौती के रूप में उतनी रकम की अनुभति देगा जो खेनमार्क में प्राप्त आय से अथवा पूंजी के स्वामित्व से जैसा भी मागला हो, प्राप्त आयवर अथवा पूंजी कर का भाग है।

- डैनमार्फ के मामले में दोहरे कराधान का परिहार निस्त प्रकाश में होगा :
 - (क) उप पैराग्राफ (ग) के उपबंधों के श्रधीन, जहां छेनमार्क का कोई निवासी इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार आय प्राप्त करता है अथवा पूंजी का स्वामित्व रखता है, तो उस पर भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां छेनमार्क निम्नानुसार अनुमति देगा
 - (i) उस निवासी की आय पर कर में उतनी रकम की कटौती वी आएमी, जो भारत में अबा किए गए असाकर के बराबर हो;
 - (ii) उस निवासी की पूंजी पर कर से उतनी रकम की कटौती दी जाएनी जो भारत में भदा किए गए पूंजी कर के बराबर हो ;
 - (ख) तथापि, उक्त दोनों मामलों में से फिसी भी मामले में, इस कटौली की रकम बटौली दिए जाने से पूर्व यथा-संगणित धायकर ध्रधना पूर्वी कर के उस भाग से खिक नहीं होगी, जो भारत में कर लगाई जा सकने नाली धाय प्रथमा पूर्वी के कारण, जैसा भी मामला हो, प्राप्त होती हो;
 - (ग) जहां येनमार्क का कोई निवासी ऐसी श्राय प्राप्त करता है श्रमधा पूंजी का स्वामित्व रखता है, जिस पर इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार केवल भारत में ही कर लगाया जा सकेगा वहां जैममार्क इस आय अथवा पर्जा को कर श्राधार में शामिल कर सकता है परन्तु वह शायकर श्रथवा पूंजी कर के उस श्रंण पर श्रायकर श्रथवा पूंजी कर के उस श्रंण पर श्रायकर श्रथवा पूंजी कर से उस श्रंण पर श्रायकर श्रथवा पूंजी कर से ग्रंप भारत में आपत होने वाली श्राय अथवा भारत में स्वामित्य वाली पूंजी के कारण, जैसा भी मामला हो, आपत होना है :
 - (घ) उप-पैराप्राक (क) में उल्लिखित कटीतों के प्रशेषनार्थ 'भारत' में श्रदा किया गया श्रायकर" पद में, भारत के कानुनों के श्रव्याति श्रीर इस श्रामिय के अनुसार, निम्नलिखित के अन्तर्गत उस वर्ष के लिए मंजूर की गई कर की किसी छूट अयश कटीती को छोड़कर ऐसी कोई भी रकम शामित हुई मानी जाएगी जो किसी भी वर्ष के लिए भारतीय कर के रूप में देव हुई हो:
 - (i) श्रायकार श्रमिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10(4), 10(4क), 10(4क), 10(6), (viia), 10(15)(iv), 10क, 32क, 80जजे, 80 ज, 80 का और 80 क, जहां तक कि वे दम ग्रांगसमय पर हस्ताक्षर

किए जाने की तारीख को लागू थी और तथ से उनमें कोई संबोधन नहीं किया गया है अथवा उसमें केवल ऐसा मामूली संबोधन किया गया हो जिससे उनके सा-मान्य स्वरूप पर कोई अक्षाव नहीं पड़ना हो; पशवा

- (ii) कौई भी अन्य उपयन्ध जो कर रोग्य आय अथवा कर से किसी छूट अथवा कटीती की संगणना करने में वटीती मंजूर करते हुए इसके बाद अधिनियमित किया गया हो जिसको नंबिदाकारी राज्यों के सल्लभ अभिकारों भारत के आर्थिक विकास के प्रयोजन के लिए होना मानते हों, यदि उसमें उसके बाद संगोलन नहीं किया गया हो, अथवा उसमें केवल ऐसा मामूली संगोधन किया गया हो जिससे उसके सामन्य स्वन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना हो:
- (ङ) उप पैरायाफ (क) में उल्लिखित मटौता के प्रयोजनार्थ, ब्याज, रायिस्टियां तथा तकनीकी सेवाओं के शिए फीस पर भारतीय कर किसी भी हालत में निम्नलिखित से कम दर पर संदत्त किये गये रूप में नहीं समझा जाएगा :
 - (i) क्याज के मामले में--
 - (क) बैंक के मामले में 10 प्रतिशत; श्रीर
 - (च) धन्य माले में 10 प्रतिशत; श्रीर
 - (ii) रायित्यमं और तकर्मकः सेवाओं के लिए फीस के मामले में 20 प्रतिशत ।

श्रनुस्टेद ३३

सम-व्यवहार

-). एक संविधानारी राज्य के साद्धिकों पर हुसरे संविधाकारी राज्य में ऐती कोई कराधान-व्यवस्था प्रथवा तत्मंत्री ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान श्रीर उससे सम्बन्धिय अपेक्षाओं से जिल्ला श्रयदा अपेक्षाकृत श्रधिक भारपूर्ण हो जा उन दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर समान परिस्थितियों तथा समान स्थितियों में लागू होती हैं श्रथवा ही सकती है।
- एक मंत्रिवाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूनरे सिवादाकारी राज्य में किसी न्याया संस्थायन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस पुरारे राज्य में समान परिस्थितियों में और समान भलों के प्रश्लीन कार्यकलायों में प्रवृत्त किसी उद्यम पर लागू शीने याले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनकृत हों।
- 3. इस अनुष्ठिद में निहित किसी भी बात हा यह अर्थ नहीं सामता आएना कि एक सीवदानार्श राज्य ऐसे अलिस्ती की, जी उस नाम के

निवासी नहीं है, कराधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की क्वाक्तान छूड़े, राहतों, कटीतियां प्रोर कटीतियां प्रदान करने की बाध्य होगा जी कानूनन केवल उन्हीं व्यक्तियों की उपलब्ध है, जो वहां के निवासी हैं।

4 जिन भामलों में अनुरुदे 10 के पैराग्राफ 1, अनुरुदे 12 के पैराग्राफ 7 अथवा इन्हरूदे 13 के पैराग्राफ 7 के उपबंध लागू होते हैं उन्हें छोड़कर एक संविद्याकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे निवास कारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे निवास कारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया व्याज, रायिल्ट्यों और अस्य अगतान, ऐसे उद्यम के कर लगने योग्य साभी का निवारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं समान कार्ती के व्यान कटौती पान योग्य होगे, जैसे कि वे प्रथमोरिकाबत राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए थे। इसी प्रकार एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को विए गए कोई ऋण ऐसे उद्यम की कर लगने योग्य पूंजी के निवारण के प्रयोजनार्थ उन्हीं समान वार्ती के प्रधान कटौती पान चीन होंगे जैसेकि वे प्रथमोजनार्थ उन्हीं समान वार्ती के प्रधान कटौती पान चीन होंगे जैसेकि वे प्रथमोजनार्थ उन्हीं समान वार्ती के प्रधान कटौती पान चीन होंगे जैसेकि वे प्रथमोजनार्थन राज्य के किसी निवासी को अनुर्वाधित किए गए थे।

6. इस अनुष्ठिय में "कराधान" पर में थे कर अभिन्नेत हैं जो इस अभिनम्य के निषय हैं।

प्रमुन्**छेद** 25

पारस्पत्कि करोर कार्यविधि

1. जहा किसी संविद्याकारी राज्य का लोई निवासी वह समझता है कि एक प्रथल दीनों संविद्याकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कुतरण उन पर को कर लगाया जाता है अथवा निवास जाएगा, वह इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं हैं, तो वह उन राज्यों के प्रान्तरिक कानूनों हारा उपबन्धित जपयों के होने हुए थी, अपना मामला उन संविद्याकारी राज्य के सलम प्राधिकारी के पास अन्तुत कर सकता है, जिसका कि यह निवासी है। यह मामला उन कार्यवाही के नीटिय की प्राप्ति की तार्राख के तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे ऐसा कराधान उद्भूत होता है, जो इस प्रियमिय के प्रमुख नहीं है।

यद मध्यम प्राधिकारी को श्रापणि उचित लगे श्रीर यदि बह समय फिली सल्लीण्यतंक हल पर पहुंचन में श्रवगर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के निवारण की पुष्टि से जो इस अभिममय के अनुरूप नहीं है, त्सरे मंबिदाकारी राज्य के सक्षम आधिकारी के साथ परस्पर लहमति द्वारा उन्न मामले को हल करने का अयास करेगा । किए गए किसी भी समझौत को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के आन्यरिक कान्ती में कोई भी समय-सीमा क्यों न हो ।

3. इस श्राम्समय की व्याख्या करने श्रववा उसे लागू करने में यदि कोई कठिमाइयां श्रववा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक समझौते से हल करने का श्रवास करेंगे । वे ऐसे मामलों में दोहरे कराधान के श्रपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श मी कर सकते हैं जिनकी इस श्रमिसमय में व्यवस्था नहीं की गई है ।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्वोक्त पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्य एक-दूसरे के साथ रिधे पन्न-व्यवहार कर सकते हैं। जब किसी समझौते पर पहुंचने के लिए जिलारों का मौलिक प्रावान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसा प्रादान प्रवान किसी प्रायोग के माउयम से किया जा सकता है, जिसमें संविदाकारी राज्यों क सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधि हों।

मनुष्छेद 26

सूचना का अध्यान प्रदान

1. संबिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का जिसमें **५स्तावेज भी शामिल है) आवाम प्रदान करेंगे** जो इस प्रशिसमय के जपबन्धों के भ्रथवा संविदाकारी राज्यों के जनकरों से सम्बन्धित धान्तरिक कानुनों के उपनेघों को कार्यान्यित करने के लिए ग्रावण्यक हैं, जो इस श्रमिसमय के श्रन्तर्गंत स्राते हैं, जहां तक कि उनके यधीन विश्वमान कराधान व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की जालसाजी ग्रथवा अप**वं**चन को रोकने के लिए अधिसमय के प्रतिकृत नहीं हो। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के आन्तरिक कानुमों के ग्रंतर्गत प्राप्त की 🛂 गई सूचना मानी जाती है। लेकिन, यदि उक्त सूचना को, सूचना भेजने बाले राज्य में मृल रूप से सुप्त समझा जाता है, जो हो उसे केवल ऐसे अयक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय ग्रीर प्रशासनिक भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा, जो उन गरों के निर्धारण प्रथवा उनकी यसूर्णा उनके प्रवर्त्तन अथवा ऋभियोजन के संबंध में श्रथवा उनसे संबंधित श्रयोलों के निर्धारण में श्रन्तर्गस्त हों, जो इस अभिसमय के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति ग्रयका प्राधिकारी उक्त सूचना का उपयोग केवल ऐसे है। त्रयाजनो के लिए करेंगे परन्तु वे उक्त सूचना को सार्वजनिक तौर पर न्यायालय की कार्धवाही भगवा न्यामिक निर्णयों में प्रकट कर सकेरी। नक्षम प्राधिकारी, विचार निमर्श के माध्यम से उनमामलों से संबंधित समुचित शर्ता पद्धतियों श्रीर तवलीको को विकसित करेंगे, जिनके बारे में युचना का ऐसा अवान प्रदान फिया आएगा, जिसमें, जहां कही उपयुक्त हो, कर के परिद्वार के संबंध में सूचना का भादान-प्रदान भी शामिल है।

 सुधना पश्चा दस्तावेजों का ब्राह्मन-प्रदान मा तो नेती तीर पर किया जाएमा व्यवमा किसी मामले विशेष के संदर्भ में ब्रमुदीय के स्राक्षार पर स्थाया दोनों तरह से किया जाएगा। संविधाकारी राज्यों के समक्ष प्राधिकारी नेनी पर प्रस्तुत की जानेवाली सूचना प्रथया दसतावेजीं की सूची पर समय गमय पर प्रथनी सहसति व्यक्त करे।

- 3. किसी भी स्थिति में पैरायाफ के पत्रक्षों का वह धर्य महीं सगाया जाएगा जिससे कि किसी संविधाकारी राज्य पर निम्नलिखित उस्तरदायिख डाला जाए ।
 - (क) एक अथवा दूसरे संविदाकरी राज्य की विधियों अथवा प्राणास-निक प्रथा से हटकर प्रणासनिक उपाय करना ;
 - (ख) ऐसी सूचना ध्रयवा दस्ताबेज देना, जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के धन्तर्गत अथवा प्रणासन को सामाण्य स्थिति में प्राप्य मही हैं;
 - (ग) ऐसी सूचना अववा बस्ताबेंज देना, जिससे कोई ब्यापारिक व्यावसायिक, श्रौद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी, गुप्त भेव अयवा ब्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकृत हो।

घनुच्छेर 27

वसूली में सस्योग

- 1. संविदाकारी राज्य इस ग्रांभसमय से संबंधित करों की वस्ला में उन मामलों में एक दूसरे राज्य की मदद करने ग्रीर समर्थन देने क जिम्मा लेते हैं, जहां ग्रमुरोधकर्ता राज्य के कामूमों के ग्रमुसार, कर निश्चित रूप से वेय है।
- 2. प्रवर्तन प्रथम वसूली के किसी धनुरोध के मामले में किसी भी सीमधाकारी राज्य के कर सम्बन्धी दावों की, जिनका प्रस्तिम रूप से पसा लगाया जा चुका है, उस दूसरे संविद्याकारी राज्य द्वारा प्रवर्तन के लिए स्वीकार किया जाएगा जिससे प्रमुरोध किया गया है, ग्रीर उनकी वसूली हेतु लागू कानूनों में की जाएगी।
- 3. 3. भारतीय कर के मामले में प्रतृरोध पक्ष को केन्द्रीय प्रस्थक कर बांध द्वारा उनिका टेक्स डायरेक्टोरेट, स्टाटकाटटेडायरेक्मोरेटटे पोस्ट बांध 100, डी. के. -3460 विरकेराड, डेक्मार्क के मास भेजा जाएगा, और उसके माथ ऐसा प्रमाणपत्त संलग्न होगा औसाकि भारत के कन्तों में यह स्थापित करने के लिए प्रपेक्षित है कि करों का प्रक्तिम स्प से निर्धारण कर लिया गया है और वे करदाता द्वारा टेम है।
- 4. इंतिश कर के मामले में धनुरोध पत डैनिश टेक्स डायरेक्टोरेट द्वारा केश्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बि. कर. श.) राजस्य विभाग, किल मंद्रालय नार्थ क्लाक, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जाएगा और उसके साथ ऐसा श्रमाणपद्म संलग्न होगा जैसा कि डेनेमार्स के कानुनों में

यह स्थापित करने के लिए श्रपक्षित है कि करों का श्रम्तिम से रप निर्धारण कर लिया गया है और वे करवाना हारा देय है।

- 5. अहां कर सम्बन्धा दाया उस सम्बन्ध में प्रपील किए, आने अथवा किसी अन्य कार्यवाही के कारण निर्णायक नहीं बना हो, वहां एक संविधाकारी राज्य, अपने राजस्व को बचाने के लिए, दूसरे संविधाकारी राज्य से उसके बारे में ऐसे श्रंतरिम उपाय करने का अनुरोध कर सकता है जो उस सुसरे संविधाकारी राज्य के जामूनों के श्रन्तार्थक इस तरह वैध है।
- 6. किसी करवाता से प्राप्तब्य करों की वसूर्यों में महायतां के लिए प्रतृरोध पत्र तभी पेश किया जाएगा जब प्रतृरोध करने वाले संविदाकारी राज्य में उस करदाना से कर वसूल करने के लिए उसकी पर्याप्त परिसम्मतियां उपलब्ध न हों।
- 7. जिस संविदाकारी राज्य में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ़ 1, 2 श्रीर 5 के अनुसरण में कर वसूल किया जाता है, वह राज्य इस अकार वसूल की गई रकम को सत्याचात तुरुक्त दूयरे संविदालारी राज्य को भेजीगा, जिसने अनुरोध किया था, परन्तु ऐसे कर को बसूली में सहायता किए जाने के दौरान श्राई आवश्यक लागत को, यदि कोई हो, दौनों राज्यों के सक्कम प्राधिकारियों के बीच आपास में सहमत हुई सीमा तक वापिस करने का हकदार होगा।

श्रनुष्छेद 28

राजनियक एजेंट और काउंसली अधिकारी

इस प्रभिक्षमय की किसी भी बात से राजनियक एखेंट का कार्यसकी प्रशिकारियों पर अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अन्तर्गत प्रथया विशेष करारों के उपबन्धों के अन्तर्गत वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

भगुन्छेद 29

क्षेत्रीय विस्तार

1. इस प्रशिक्षसमय का विस्तार या तो इनका सम्पूर्णतः में या ऐसे परिवर्तनों सहित सामान्य करार द्वारा किया आ मकता है , जिमके लिए डेनमार्क के क्षेत्र के किसी भाग के लिए महमति हुई है और जिसी प्रशिक्षसम्य के प्रवर्तन से विशिष्ट रूप से बाहर रखा गया है प्रीर जिनसे ऐसे स्वरूप वाले समान कर पर्याप्ततः लगान आते है, जिन पर यह अभिसमय लागू होता है । ऐसा कोई विन्तार उस तारीख से और प्रशिक्षमय के पर्यवसाम की शक्तों सिहत, ऐसे परिवर्तनों और गलों के अधीन प्रभावी होगा, जैसे कि राजनियक माध्यमों के जिरए प्रावान-प्रवान की उक्को वाली टिप्पणियों में संविदाकारी राज्यों के बीच प्रयवा उनकी सांविधिक कार्यविधियों के प्रगुगार किसी भी अध्य पद्धति से हिन्दित अर्थ के किस से विदार कार्यवा किसी सांविधिक कार्यविधियों के प्रगुगार किसी भी अध्य पद्धति से

2. जब तक दोनों सविदायारी राज्यों में अस्पथा महमति न ही, तब तथः डैनमार्क के क्षेत्र के किसी भाग के लिए, जिमे ज्या अनुक्छेद के अन्तर्गत बहारा गया है, इस अधितमय का प्रवर्गन अनुक्छेद 31 के अन्तर्गत दोनों राज्यों में से किसी एक के बारा अधिरामय का समापन भी, उस अनुक्छेद में दी गई व्यवस्था के अनुमार होगा।

श्रनुच्छेद ३०

प्रवर्धन

 मंबिद्राकारी राज्यों की सरकारें एक-दूसरे को प्रधिस्चित करेशी
 इस प्रक्षितमय के प्रवर्तन के लिए सांविधिक प्रपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं।

अह अस्तिमय पैराग्राफ़-1 में जिल्लिखित अधिमूचनाथों में ने परवर्ती अधिमूचना की तारीख को प्रवर्तित होगा और इसके जपबन्ध उन वर्ष से जिसमें पैराग्राफों में जिल्लिखित अधिमूचताओं में से परवर्ती अधिमूचताओं में से परवर्ती अधिमूचताओं में से परवर्ती अधिमूचता दी गई हो अगले कलेंडर वर्ष में दिनाक 1 जनवरी को अथवा उसके बाद गृक होने वाले आयवा उसके बाद गृक होने वाले आयवा उसके बाद गृक होने वाले आयवां के लिए कर के संबंध में प्रभावी होंसे।

3. प्राय के बोहरे कराधान के परिहार के संबंध में 16 सितम्बर, 1959 को कोपेनहेंगेन में भारत प्रीर डेनमार्थ की सरकारों के बीच हस्ताक्षण किया गया करार उस समय निष्प्रभावी ही जाएगा, जब इस प्रसिसमय के उपबन्ध पैरामाफ 1 और 2 के उपबन्धों के प्रनुसार प्रभावी होंगे।

स्रनुष्छेद 31 पर्यवसान

यह प्रभित्तमध तब तक लागू रहेगा, जब तक दोनों संविदाकारी राज्यों में ने किसी एक संविदाकारी राज्यों में ने किसी एक संविदाकारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस प्रभित्तमय को उस वर्ष से, जिस वर्ष में यह प्रभित्तमय लागू हुआ है, पान दवों की प्रथा के बाद के किसी कलेडर वर्ष के जून के 30थे दिन को प्रथा उससे पहले राजनियक माध्यमों से दलकों समाप्ति का लिखित नोटिस देकर समाप्त कर संकेगा। ऐसी स्थिति में, यह प्रभित्तमत, उस दर्ष जिसमें उक्त प्रधासूचना दी जाती है, के परवर्ती कलेंडर वर्ष एक जनवरी को प्रथा उसके बाद गृष्ट होने बाते छात्र वर्ष प्रथा परवर्ती आम वर्षों के संबंध में कर के सर्वध में निज्यभावी ही जाएगा।

िसके साध्य में इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत श्रधोहरताक्षरकर्ताश्रो ने इस श्रभिसमय पर हस्साक्षर किवे हैं।

कीपनहेगन में वर्ष एक हजार नी.सी नवार्सा के मार्च माह के छाठवें दिन को, हिन्दी, डैनिश और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में सम्पन्न किया गया । इसके सभी प-ठ, समानत पामाणिक है। इस पाठों में ने किसी भी पाठ के बीच <mark>शिक्षता होने की स्थिति</mark> में संग्रेजी पाट प्रमार्था होग:।

素

भारत वणराज्य की सरकार की ब्रोट से

중.

डेनमार्क किगटम की गरकार

की श्रीर से

प्रीतीकील

भारत सरकार श्रीर डेनमार्क किंगउम की शरकार ने :

श्राय सथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार भथा राजरब प्रपत्नंथन को रोयने के लिए इस श्रिक्सिय को संवन्त करने हुए:

उक्त अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के समय निस्तिलिखन उपवन्ध के संबंध में सत्सति व्यक्त की है, जो उसके अभिन्न श्रंग होते:

- (1) प्रमुच्छेष 23 के पैराप्राफ़ 3(फ) के प्रयोजनार्थ, यह समझा जाता है कि उसमें विनिर्दिष्ट कर की वरें किसी भी हालत में भारतीय कर कानूनों के प्रन्तर्गत प्राय की एसी श्रेणियों पर लागू होने वाले प्रतिबंधनकारी कर की वर से प्रप्रिका नहीं होंगी।
- (2) अनुच्छेद 27 के प्रयोधनार्थ, करदाता से प्राप्त करा की बस्ती में सहायता के लिए अनुरोध तब सक नहीं है किया जाएगा, जब तक ऐसे कर 2000 डेनिश काउन अथवा भारतीय मुद्रा में उसके गमतृत्य अथवा उससे अधिक नहीं हो ॄजाते।

जिसके साध्य में, इसके लए विधिवत् प्राधिकृत अधीहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्साक्षर किये है ।

कीपनहेशन में वर्ष एक हकार नी सी नवासों के मार्च मास के ब्राटवें दिन की हिन्दी, डेनिश ब्रीर ब्रंग्नेजी भाषाध्री में दो पतियों में सम्पन्त किया गया । इसके सभी पाठ प्रामाणिक हैं । तीन पाठों में विस्ता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

ਵ.

7

भारत गणराज्य की . मरकार की और मे ेडेनमार्क किंगडम की सरकार की और ने

प्रीतीकोत

भारत गणराज्य की सरकार और उनमारं विशादम की मरकार की बीच भार भीर पूंजी पर करों के संबंध में शहर कराधान के परिहार तथा राजस्व भपवंदन को शेकने के लिए इस भभितमय पर हस्ताक्षर करते समय हस्ताक्षारणों ने यह सहमति व्यक्त की ह कि निम्नलिखित उपयस्य इस प्रभित्रमय के श्रीभित्र औन होंगे:~-

- वह अभिनमत केरी इंग्य सन्त्र के सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागु किया गया है।
- 2. श्रभिसमय में, "डेनमार्क किंगडम" श्रोर "डेनमार्क" शब्द कैरी-द्वीप समूह पर भी लागू होंगे, जब तक विषयगत पाठ में श्रन्थथा श्रपेक्षित न हों।
- उस वर्तमान प्रीतोकोल के प्रभूमरण में ऐसे करों में, जो प्रिक्सिमय के विषय हैं, निम्नलिखित कर भी शामिल होंसे जो फ़ैरी द्वीप रामृह पर लगाए जाते हैं:
 - (क) स्वैट विल सैण्डसकारोन (प्रान्तीय ग्रायकर)
 - (ला) कोमुतरा इण्डकोसस्तकैट (सामवाधिक छ।यकर);
 - (ग) किरकेस्कट (चर्च कर) ;
 - (घ) उडनायलेस्केस (लामांश पर कर);
 - (ङ) एजेंडोमस्यानंसिंगफ्ट (बास्तविक सम्पदा से प्राप्त होने बाले लाभ पर कर);
 - (च) रायलटियाफ्रिकेट (रायल्टी पर कर);
- 4. "सक्षम प्राधिकारी" सन्द से अर्थ है—प्रीरी होप समृह के मामले में फ्रैरो स्थानीय सरकार अथवा अभिसमय के संदर्भ में प्रश्नीं को हल करने के लिए ऐसा प्राधिकरण, जिसे स्थानीय सरकार की और से प्राधिकृत किया गया है।
- 5. यह प्रोतीकोल उस तारीख से लागू होगा तथा प्रभावी होगा जिस तारीख से अभिसमय लागू होगा।

जिलके साक्ष्य में, इसके लिए विधियत् पाधिकत अधीहस्ताक्षरियो ने इस वर्तमान प्रीतोकील पर हस्ताक्षर विल् हैं।

9. कोपनहेशन में एक हजार नौ सी नवासी के मार्च मास के प्राटबें दिल हिन्दी, डैनिश श्रीर श्रीवेदी भाषाओं में दो प्रतियों में संपन्त किया गया । इसके गर्मा पाठ समानता प्रामाणिक हैं । इन पाठों में से किसी भी पाठ के बीच जिल्लता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रमाया होता !

₹.

र.च. गुक्ला जैन्स रीजमन
 भारत गगराज्य की कैनमार्क किगडम की
 गरकर का भ्रोट में स्वाहित की

[फ़ा.सं. 505/3/81-एफ.टी.डा.]

र्बाधसुन्नमा मे. ४५७७

₹.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th September, 1989

INCOME-TAX

G.S.R. 853 (E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Denmark for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital has come into force on the 13th day of June, 1989, on the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the constitutional requirements, as required by paragraph 1 of Article 30 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964) and section 44A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

"ANNEXURE CONVENTION

BETWEEN

THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE KINGDOM OF DENMARK

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Denmark;

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion mith respect to taxes on income and on capital;

Have agreed as follows:

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. The taxes to which this Convention shall apply are:

(a) In India:

- (i) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961);
- (ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964);
- (iii) the wealth-tax imposed under the Wealth-tax Act, 1957 (24 of 1957);

(hereinstfer referred to as "Indian tax")

(b) In Denmark:

- (i) the income-tax to the State (indkomstskatten til staten);
- (ii) the municipal income-tax (den kommunale indkomstskil);
- (iii) the income-tax to the country municipalities (den amtskommunale indkomstskat):
- (iv) the old age pension contribution (folkepensionsbidraget);
 - (v) the seamen's tax (somandsskatten);
- (vi) the special income-tax (den saerlige indkomstskat);
- (vii) the church tax (kirkeskatten);
- (viii) the tax on dividends (udby(teskatten):
- (ix) the contribution to the sickness "per diem" fund (bidrag til dagpengefonden);
- (x) the hydrocarbon tax (kulbrinteskatten);
- (xi) the capital tax to the state (formueskatten til staten):

(hereinafter referred to as "Danish tax").

2. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Convention in addition to or in place of, the taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

- 1. In this Convention, unless the context otherwise requires :
 - (a) the term "India" means the territory of India and includes territorial sea and the airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law;
 - (b) the term "Denmark" means the territory of the Kingdom of Denmark including the territorial sea of Denmark and the airspace above it, as well as any other maritime area to the extent that that area in accordance with international law has been or may hereafter be designated under Danish laws as an area within which Denmark may exercise sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting the natural resources of the scabed or its sub-soil the superjacent waters and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the area; the term does not comprise the Faroe Islands Greenland;
 - (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Denmark as the context requires;
 - (d) the term "tax" means Indian tax or Danish tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
 - (e) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (h) the terms "competent authority" means in the case of India, the Central Government Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and in the case of Denmark, the Minister for Inland Revenue, Customs and Excise or his authorised representative;
- (i) the term "national" means any individual possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in a Contracting State;
- (j) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.
- 2. As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

RESIDENT

- 1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that state in respect only of income from sources in that state or capital situated therein.
- 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has permanent home available to him if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both Sta'es of in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national:
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
- 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective menagement is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

- 1. For the purposes of this Convention the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.
- 2.The term "permanent establishment" includes especially:
 - (a) a place of management;
 - (b) a branch;
 - (c) an office;
 - (d) a factory;
 - (c) a workshop;
 - (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural τesources;
 - (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;

(h) a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on;

. _==== : === : ===

- (i) a premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders;
- (j) an installation or structure used for the exploration of natural resources provided that the activities are carried on for a period or periods of 183 days or more in any twelve-month period;
- (k) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activities (together with other such sites, projects or activities if any) continue for a period of 183 days or more.
- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
 - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
 - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
 - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, or the enterprise;
 - (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for other activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.
- 4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State, if
 - (a) he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise:
 - (b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or

(c) he habitually secures orders in the firstmentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controling, controlled by, or subject to the same common control, as that enterprise.

- 5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such on agent devoted wholly or almost wholly on hehalf of that enterprise itself or on behalf of that enterprise and other enterprises controlling, contolled by, or subject to the same common control, as that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.
- 6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

- 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and right to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

- 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterpirse carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment: (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment,
- 2. Subject to the provisions of paragraph where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a vermanent establishment situated therein, shall in each Contracing State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is uncapable of determination or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on reasonable basis.
- 3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permenent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of subject to the limitations of the taxation laws that State However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid fother wise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management, or except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the nermanent establishment. Likewise, no account shall be taken in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices by way of royalties fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for

14 mm = 1 management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

- 4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an appointment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
- 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
- 6. For the purpose of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
- 7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

- 1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
- 2. The provisions of paragraph I shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
- 3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall apply to profits derived by the Danish, Norwegian and Swedish air transport consortium, known as the Scandinavian Airlines System (SAS), but only to such part of the profits as corresponds to the shareholding in the consortium held by Det Danske Luftfartsselskab (DDL), the Danish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).
- 4. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest.
- 5. The term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of passengers, mail, livestock of goods carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9

SHIPPING

- 1. Profits derived from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in the Centracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, such profits may be taxed in the other Contracting State from which they are derived provided that the tax so charged shall not exceed:
 - (a) during the first five fiscal years after the entry into force of this Convention, 50 per cent, and
 - (b) during the subsequent five fiscal years, 25 per cent,

of the tax otherwise imposed by the internal law of that State. Subsequently, only the provisions of paragraph 1 shall be applicable.

- 5. The provisions of paragraph I shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency engaged in the operation of ships.
 - 4. For the purposes of this Article:
 - (a) interest on funds connected with the operation of ships in international traffic shall be regarded as income from the operation of such ships and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest; and
 - (b) profits from the operation of ships includes profits derived from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) in connection with the transport of goods or merchandise in international traffic.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where:

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Confracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes accordingly profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary consult each other.

Article 11

DIVIDENDS

- 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed:
 - (a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least 25 per cent of the shares of the company paying the dividends;
 - (b) 25 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profit; out of which the dividends are paid.

- 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid

is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 12

INTEREST

- 1. Subject to the provisions of paragraph 4 of Article 8 and paragraph 4 (a) of Article 9, interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other state.
- 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State. But the tax so charged on interest payable in respect of a loan given or debt created after the date of entry into force of this Convention, shall not exceed:
 - (a) 10 per cent of the gross amount, if such interest is paid on any loan of whatever kind granted by a bank, and
 - (b) 15 per cent of the gross amount in all other cases.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, interest arising in a Contracting State and derived by the Government of the other Contracting State, a political sub-division or local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting S'ate or any agency of that Government, or by any other resident of that other Contracting State with respect to debt claims of that resident which are financed, guaranteed or insured by the Government of that other Contracting State, a political subdivision or local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State or any agency of that Government, shall be exempt from tax in the Jirst-mentioned Contracting State.
- 4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and ir particular, income from Government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

-,, -, 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

- 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention,

Article 13

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL **SERVICES**

- 1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.
- 3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information industrial commercial or scientific concerning experience.

- 4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of the person making the payments, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.
- 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.
- 6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed bare in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 7. Where, be reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties or fees for technical services paid exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provision of this Convention.

Article 14

CAPITAL GAINS

- 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovbale property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the

- alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
- 3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

With respect to gains derived by the Danish, Swedish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to such proportion of the gains as corresponds to the participation held in that consortium by Det Danske Luftfartsselskab (DDL), the Danish partner of Scandianavian Airlines System (SAS).

- 4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.
- 5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State provided that such shares represent at least 10 per cent of the share capital of that company.
- 6. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

- 1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:
 - (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities, in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
 - (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year of that other State, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.
- 2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent ativities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

- 1. Subject to the provisions of Articles 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
- 2. Notwithstanding the provision of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
 - (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year of that other State, and
 - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of other State, and
 - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.
- 4. Where a resident of Denmark derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the Scandinavian Airlines System (SAS) consortium, such remuneration shall be taxable only in Denmark.

Article 17

DIRECTORS' FEES & REMUNERATION OF TOP LEVEL MANAGERIAL OFFICIALS

- 1. Director's fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 18

ENTERTAINERS AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste or a musician, or as an athlete, from his perposal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

- 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public lunds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political subdivisions or local authorities.
- 4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7, 15 and 16, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political subdivisions or local authorities.

Article 19

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

- 1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
- (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
- 2. Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
- 3. The provisions of Articles 16 and 17 shall apply to remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof.

Te 1/2000000 Testing

Article 20

STUDENTS

AND APPRENTICES

- 1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on:
 - (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and
 - (b) remaneration from employment in that other State not exceeding 20000 Danish Crowns or its equivalent in Indian currency during any fiscal year of that other State provided that such employment is directly related to his studies or is necessary for the purpose of his maintenance.
- 2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article, for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

Article 21

OTHER INCOME

- 1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Convention, shall be taxable only in that Contracting State.
- 2. The provisions of paragraph I shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention, and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 22

CAPITAL

- 1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
- 2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services may be taxed in that other State.
- 3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic and by boats engaged in inland waterways transport, and by movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft and boats, shall be taxable only in the Contracting State in which the enterprise is a resident.
- 4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 23

AVOIDANCE OF LIOUBLE TAXATION

- 1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income and capital in the respective Contracting State except where express provision to the contrary is made in this Convention.
- 2. Double taxation shall be avoided in the case of India as follows:
 - (a) Where a resident of India derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Cenvention, may be taxed in Denmark, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax in Denmark, whether directly or by deduction; and as a deduction from the tax on the capital of that resident an amount equal to the capital tax paid in Denmark. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax (as computed before the deduction is given) which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Denmark. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the deduction in respect of income tax paid in Denmark shall be allowed in the first instance from income tax payable by the company in India and as to the balance, if any, from surtax payable by it in India;
 - (b) Where a resident of India derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Denmark, India may include

this income or capital in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax or capital tax that part of the income tax or capital tax which is attributable, as the case may be, to the income derived from or the capital owned in Denmark.

- 3. Double taxation shall be avoided in the case of Denmark as follows:
 - (a) Subject to the provisions of sub-paragraph (c) where a resident of Denmark derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in India, Upnmark shall allow;
 - (i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in India;
 - (ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in India;
 - (b) Such deduction in ether case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in India;
 - (c) Where a resident of Denmark derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention shall be taxable only in India, Denmark may include this income or capital in the tax base, but shall allow as a deduction from the income tax or capital tax that part of the income tax or capital tax which is attributable, as the case may be, to the income derived from or the capital owned in India.
 - (d) For the purposes of the deduction referred to in sub-paragraph (a), the term "income tax paid in India" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax under the laws of India and in accordance with this Convention for any year but for an exemption from, or reduction of, tax granted for that year under:
 - (i) Sections 10(4), 10(4A), 10(4B), 10(6) (viia), 10(15) (iv), 10A, 32A, 80-HH, 80-I, 80-J and 80-L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), so far as they were in force on, and have not been modified since, the date of the signature of this Convention, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character; or
 - (ii) any other provisions which may be enacted hereafter granting a deduction in comput ing the taxable income or an exemption or reduction from tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the numbers of the economic development of India, if it has not been modified thereafter or has been modified

- only in minor respects so as not to affect its general character;
- (e) For the purposes of deduction referred to in sub-paragraph (a), Indian tax on interest and royalties and fees for technical services shall in no case be considered as having been paid at a rate of less than
 - (i) in the case of interest -
 - (a) 10 per cent in the case of banks; and
 - (b) 15 per cent in other cases; and
 - (ii) 20 per cent in the case of royalties and fees for technical services.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

- 1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewin which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.
- 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not less favourably believed in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances and under the same conditions.
- 3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.
- 4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 10, paragraph 7 of Article 12, or paragraph 7 of Article 13, apply, interest, revalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.
- 5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burden ome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

6. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

ARTICLE 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

- 1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the domestic laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Convention.
- 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting States.
- 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.
- 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach an agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provision, of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to. taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only

- for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.
- 2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.
- 3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 27

ASSISTANCE IN COLLECTION

- 1. The Contracting States undertake to lend assistance and support to each other, in the collection of the taxes to which this Convention relates, in the cases where the taxes are definitely due according to the laws of the State making the request.
- 2. In the case of a request for enforcement or collection, tax claims of either of the Contracting States which have been finally determined will be accepted for enforcement by the other Contracting State to which the request is made and collected in that State in accordance with the laws applicable to the enforcement and collection of its taxes.
- 3. In the case of Indian tax, the request will be sent by the Central Board of Direct Taxes to the Danish Tax Directorate, Statesskattedirektoratet, Post box 100, DK—3460 Birkerd, Denmark and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of India to establish that the taxes have been finally determined and are due from the taxpayer.
- 4. In the case of Danish tax, the request will be sent by the Danish Tax Directorate, to the Central Board of Direct Taxes, (FTD), Department of Revenue, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 110001, India and will be accompanied by

such certificate as is required by the laws of Denmark to establish that the taxes have been finally determined and are due from the taxpayer.

- 5. Where the tax claim has not become final by reason of its being subject to appeal or any other proceeding, a Contracting State may, in order to protect its revenues, request the other Contracing State to take such interim measures in this behalf as are lawful under the laws of that other Contracting State
- 6. A request for assistance in collection of taxes due from a taxpayer shall be made only if adequate assets of that taxpayer are not available for recovering the taxes from him in the Contracting State making the request.
- 7. The Contracting State in which tax is recovered in pursuance of paragraphs 1, 2 and 5 of this Article shall immediately thereafter remit the amount so recovered to the Contracting State which made the request but it shall be entitled to reimbursement of costs, if any, incurred in the course of rendering such assistance to the extent mutually agreed between the competent authorities of the two States.

ARTICLE 28

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 29

TERRITORIAL EXTENSION

- 1. This Convention may be extended by common agreement, either in its entirety or with such modifications as are agreed upon to part of the territory of Denmark which is specifically excluded from the application of the Convention and which imposes taxes substantially similar in character to those to which the Convention applies. Any such extension shall take effect from such date and subject to such modifications and conditions, including conditions as to termination, as may be specified and agreed between the Contracting States in notes to be exchanged through diplomatic channels or in any other manner in accordance with their constitutional procedures.
- 2. Unless otherwise agreed by both Contracting States, the termination of the Convention by one of them under Article 31 shall also terminate, in the manner provided for in that Article, the application of the Convention to any part of the territory of Denmark to which it has been extended under this Article.

ARTICLE 30

ENTRY INTO FORCE

1. The Governments of the Contracting States shall notify to each other that the constitutional requirements for the entry into force of this Convention have been complied with.

- 2. This Conventions shall enter into force on the date of the latter of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect in respect of tax for the income year beginning on or after 1st January in the calendar year next following the year in which the latter of the notifications referred to in paragraph 1 is given, and subsequent income years.
- 3. The Agreement between the Governments of India and Denmark for the Avoidance of Double Taxation of Income, signed at Copenhagen on the 16th September 1959, shall cease to have effect at the time when the provisions of this Convention shall be effective in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2.

ARTICLE 31 TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notification of termination on or before the thirtieth day of June of any calendar year following after the period of five years from the year in which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect, in respect of tax for the income year beginning on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the notification is given and subsequent income years.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at Copenhagen this 8th day of March one tousand nine hundred and eightynine in the Hindi, Danish and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, the English text shall be the operative one.

Sd|-R. C. SUKLA For the Government of Republic of India

> Sd|-JENS ROSHAN

For the Government of the Kingdom of Denmark

PROTOCOL

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Denmark:

Having entered into a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income an Capital:

Having agreed, at the time of signing the said Convention, on the following provisions which shall constitute an integral part thereof:

(1) For the purposes of paragraph 3 (e) of Article 23, it is understood that the rates of tax specified therein shall in no case exceed the rate of withholding tax applicable to

such categories of income under the Indian tax laws.

_____ · __

(2) For the purposes of Article 27, a request for assistance in collection of taxes due from a taxpayer shall not be made unless such taxes aggregate to 2000 Danish Crowns or its equivalent in Indian courrency or more.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Protocol.

Done in duplicate at Copenhagen this 8th day of March one thousand nine hundred and eightynine in the Hindi, Danish and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, the English text shall be the operative one.

Sdj-RC. SUKLA

For the Government of the Republic of India

> Sd!-JENS ROSHAN

For the Government of the Kingdom of Denmark

PROTOCOL

At the moment of signing the Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fical evasion with repect to taxes on income and capital between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Denmark, the signatories have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention:

- The Convention has been extended to apply 1. in its entnety to the territory of the Faroc Islands.
- In the Convention the terms "the Kingdom of Denmark" and "Denmark" shall also ap-2. ply to the Faroe Islands unless the context otherwise requires.
- The taxes which in pursuance of the present Protocol are the subject of the Convention shall include the following taxes which are levied on the Faroe Islands :--
 - (a) the provincial income-tax (skatten til landskassen);
 - income tax (den kom-(b) the municipal munale indkomstskat);
 - (c) the church tax (kirkeskatten);
 - (d) the tax on dividends (udbytteafgiften);

- (e) the tax on profit from real estate (eiendomsavanceafgiften):
- (f) the tax on royalty (royaltyafgiften).
- The term "competent authorities" means in the case of the Faroe Islands the Faroe Local Government or the authority which on behalf of the Faroe Local Government has been authorized to handle questions with reference to the Convention,
- This Protocol shall enter into force on and have effect from the some dated as the Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Protocol.

Done in duplicate at Copenhagen this.....8th day of March one thousand nine hundred and eightynine in the Hindi, Danish and English longuages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, the English text shall be the operative one.

Sd ~ R. C. SUKLA

For the Government of Republic of India

Sdi-

For the Government of the the Kingdom of Denmark JENS ROSMAN

[Notification No. 8460|F. No. 505|3|81-F.T.D.]

धन-कर

मा.का.नि. 851(प्र) -- केन्द्रीय सण्याण, धन-कर अधिनियमः 1957(1957 का 27) की धारा 14क के स्पन्टीकरण द्वारा प्रवत्त गक्तियों का प्रयोग अस्ते हुए, उस अधिनियम के प्रयोजनो के लिए देनमार्क को एक व्यक्तिकारी देश घोषित करती है।

[(ऋधिम्चनः सं. ४४६४) फ्रा.स. 505/3/84-एफ टी दी]

पी. के. श्रद्भाच, संयुक्त संजित

WEALTH TAX

G.S.R. 854(E).—In exercise of the powers conferred by the Explanation to section 44A of the Wealthtax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby declares Denmark to be a reciprocating country for the purposes of that Act.

[Notification No. 8461 F. No. 505 3 81-FTD]

P. K. APPACHOO, Jt. Secy.